

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2010-2012.”



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 जून 2013 – ज्येष्ठ 11, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग  
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1, जून 2013

क्र. 50/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013 –विद्युत अधिनियम की धारा 30, 39(2)(घ), 40(ग), 42(2,3), 86(1)(ग) सहपठित 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक सुगम्यता से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाता है। इन विनियमों के प्रवर्तित होने पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम, 2005 और उसमें अधिसूचित संशोधन निरसित समझे जाएंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011

भाग-1  
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- (1) ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता और राज्यांतरिक सुगम्यता) विनियम, 2011 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम, छत्तीसगढ़ राजपत्र में, इनके मूल अंग्रेजी पाठ के प्रकाशन के तिथि से लागू माने जावेंगे।

2. प्रयोज्यता की सीमा

ये विनियम, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा राज्य में स्थित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के वितरण तंत्र का उपयोग करने वाले सुगम्यता के ग्राहकों (Open Access Customers) पर लागू होंगे और इसमें ऐसे ग्राहकों द्वारा अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजन हेतु राज्यांतरिक तंत्रों का उपयोग भी सम्मिलित होगा।

### 3. परिभाषाएँ

(1) जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :-

- क. **“अधिनियम”** से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36);
- ख. **“आवेदक”** से अभिप्रेत है, दीर्घ अथवा मध्यम अथवा अल्प अवधि की सुगम्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाला कोई उत्पादन केन्द्र, जिसमें केप्टिव उत्पादन संयंत्र भी सम्मिलित है, कोई थोक उपभोक्ता, कोई केप्टिव उपयोगकर्ता, कोई विद्युत व्यवसायी अथवा कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी;
- ग. **“आबंटित क्षमता”** से अभिप्रेत है, अंतःक्षेपण और आहरण हेतु विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के मध्य, अंतरण हेतु स्वीकृत, मेगावॉट में विद्युत की वह मात्रा, जिसके लिए किसी दीर्घावधिक/मध्यमावधिक सुगम्यता ग्राहक को, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई हो, और अभिव्यक्ति “क्षमता का आबंटन” की व्याख्या भी तदनुसार की जाएगी;
- घ. **“थोक उपभोक्ता”** से अभिप्रेत है, ऐसा उपभोक्ता जो 33 के.व्ही. और उससे अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त करता है;
- ङ. **“द्विपक्षीय संव्यवहार”** से अभिप्रेत है, किसी विनिर्दिष्ट क्रेता और किसी विनिर्दिष्ट विक्रेता के मध्य, प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी व्यापारिक-अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से अथवा अनाम बोली के माध्यम से विद्युत विनिमय पर किया गया संव्यवहार, जो अंतःक्षेपण के किसी विशिष्ट बिन्दु से निकासी के किसी विशिष्ट बिन्दु तक, किसी नियत समयावधि में, विद्युत (मेगावॉट घंटा में) की एक निश्चित अथवा परिवर्तनशील मात्रा के लिए हो;
- च. **“केन्द्रीय आयोग”** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 76 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;
- छ. **“आयोग”** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 82 की उपधारा 1 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;
- ज. **“संयोजकता”** से अभिप्रेत है, किसी उत्पादन संयंत्र, जिसमें केप्टिव उत्पादन संयंत्र भी सम्मिलित है, थोक उपभोक्ता, केप्टिव उपयोगकर्ता, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र से संयोजित रहने की व्यवस्था;
- झ. **“दिवस”** से अभिप्रेत है, 00.00 बजे से प्रारंभ होकर 24.00 बजे समाप्त होने वाला कोई दिवस;
- ञ. **“विस्तृत प्रक्रिया”** से अभिप्रेत है, वह प्रक्रिया, जो आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हो;
- ट. **“भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आई.ई.जी.सी.)”** से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता;
- ठ. **“राज्यांतरिक एकक”** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जिसका विद्युत मापन (मीटरिंग), अनुयोजन (शेड्यूलिंग) और ऊर्जा का लेखांकन कार्य राज्य के स्तर पर किया जाता है;
- ड. **“राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता”** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जैसे केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित कोई उत्पादक कंपनी या कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (केन्द्रीय पारेषण उपक्रम और राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा थोक उपभोक्ता या केप्टिव उपयोगकर्ता, जो अपने नवीन या विस्तारित वैद्युतीय संयंत्र को 33 के.व्ही. और ऊपर के वोल्टेज स्तर पर राज्य के ग्रिड से संयोजित करने का इच्छुक है;

- ढ. **“राज्यांतरिक उपयोगकर्ता”** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जैसे कोई उत्पादन कंपनी जिसमें केप्टिव उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है, अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (केन्द्रीय पारेषण उपक्रम और राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा केप्टिव उपयोगकर्ता, जिसका वैद्युतीय संयंत्र राज्य ग्रिड से 33 के.व्ही. और ऊपर के वोल्टेज स्तर पर संयोजित हो;
- ण. **“इंटरफेस मीटर”** से अभिप्रेत है, ऐसे मीटर, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का प्रतिष्ठापन और संचालन) विनियम, 2006 के अनुरूप अंतर्संयोजन बिन्दु पर प्रतिष्ठापित किये गये हों;
- त. **“अंतर्संयोजन बिन्दु”** से अभिप्रेत है, कोई उपकेन्द्र या स्विचयार्ड या कोई अन्य बिन्दु जिस पर राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता और राज्य ग्रिड के बीच अंतर्संयोजन स्थापित किया जाता है;
- थ. **“दीर्घावधिक सुगम्यता”** से अभिप्रेत है, बारह वर्ष से अधिक किन्तु पच्चीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र के उपयोग का अधिकार;
- द. **“दीर्घावधिक सुगम्यता ग्राहक”** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसे दीर्घावधिक सुगम्यता की अनुमति दी गई हो;
- ध. **“मध्यम अवधि की सुगम्यता ”** से अभिप्रेत है, एक वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अनधिक अवधि के लिए राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र के उपयोग का अधिकार;
- न. **“मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक”** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसे मध्यम अवधि हेतु सुगम्यता की अनुमति दी गई हो;
- य. **“माह”** से अभिप्रेत है, ब्रिटिश कैलेण्डर के अनुसार एक कैलेण्डर माह;
- र. **“संपर्क अभिकरण”** (नोडल एजेन्सी) से अभिप्रेत है, विनियम 12 (3) और उसकी तालिका 1 में संदर्भित राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र या वितरण अनुज्ञप्तिधारी;
- ल. **“सुगम्यता ग्राहक”** से अभिप्रेत है, कोई केप्टिव उपयोगकर्ता या ऐसा उपभोक्ता जिसने अपने क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति, अथवा किसी उत्पादन कंपनी (केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) अथवा अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्राप्त करने हेतु या तो दीर्घ अवधि या मध्यम अवधि अथवा अल्प अवधि हेतु सुगम्यता प्राप्त की हो या प्राप्त करने का इरादा रखता हो;
- व. **“आरक्षित क्षमता”** से अभिप्रेत है, उपलब्ध पारेषण क्षमता और/या वितरण तंत्र की क्षमता के आधार पर, अल्पावधिक सुगम्यता के किसी ग्राहक को, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र के माध्यम से द्विपक्षीय संव्यवहार और समग्र संव्यवहार हेतु स्वीकृत विद्युत अन्तरण (मेगावॉट या मिलियन में)। “क्षमता का आरक्षण” अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जावेगा;
- स. **“अल्प अवधि की सुगम्यता ”** से अभिप्रेत है, एक समय में एक माह तक की अवधि के लिए सुगम्यता;
- श. **“अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक”** से अभिप्रेत है, ऐसा सुगम्यता ग्राहक जिसे अल्प अवधि हेतु सुगम्यता स्वीकृत की गई हो;
- ष. **“राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)”** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा(1) के अंतर्गत स्थापित राज्य भार प्रेषण केन्द्र;

- ह. "राज्य ग्रिड" से अभिप्रेत है, राज्य पारेषण उपक्रम के स्वामित्व का राज्यांतरिक पारेषण तंत्र, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का नेटवर्क जिसे आयोग द्वारा राज्य के भीतर वितरण लाइनों को संचालित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो;
- क्ष. "राज्य ग्रिड संहिता" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 86 की उपधारा(1) के विनियम (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड संहिता;
- त्र. "परित्यक्त क्षमता" (स्ट्रेण्डेड केपेसिटी) से अभिप्रेत है, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र में ऐसी पारेषण क्षमता, जिसके, किसी दीर्घावधिक सुगम्यता ग्राहक द्वारा, विनियम 20 के अधीन अपने अधिकारों के परित्याग (रिलिंग्युसमेंट) के कारण, अप्रयुक्त (अन-युटिलाइज्ड) रह जाने की संभावना हो;
- ज्ञ. "समय खंड (ब्लॉक)" से अभिप्रेत है, अनुयोजन और प्रेषण के उद्देश्यों से ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट 15 मिनट की समयावधि।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो यहां परिभाषित नहीं किये गये हैं, लेकिन अधिनियम में, अथवा राज्य ग्रिड संहिता अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य विनियमों में परिभाषित किये गये हैं, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा, जो यथास्थिति अधिनियम अथवा ग्रिड संहिता अथवा उस अन्य विनियम में है।

## भाग-2

### सामान्य प्रावधान

#### 4. प्रयोज्यता –

प्रभावशील होने के उपरांत ये विनियम, राज्य ग्रिड से संयोजकता की अनुमति, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र के उपयोग, जिसमें ऐसे तंत्र का दीर्घावधिक, मध्यावधिक और अल्पावधिक सुगम्यता के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजन हेतु उसका उपयोग भी सम्मिलित है, पर लागू होंगे।

परन्तु, कोई उत्पादन संयंत्र, जिसमें केप्टिव उत्पादन संयंत्र भी सम्मिलित है अथवा कोई थोक उपभोक्ता अथवा केप्टिव उपयोगकर्ता, जो राज्य ग्रिड से संयोजित नहीं है, संयोजकता के लिए आवेदन किए बिना दीर्घावधिक सुगम्यता अथवा मध्यावधिक सुगम्यता के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।

परन्तु, यह भी, कि कोई व्यक्ति, संयोजकता और दीर्घावधिक सुगम्यता अथवा मध्यावधिक सुगम्यता के लिए साथ-साथ आवेदन कर सकेगा।

#### 5. सुगम्यता हेतु अर्हता–

- (1) इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन जो राज्यांतरिक उपयोगकर्ता अथवा आवेदक एक मेगावॉट या उससे अधिक के लिए सुगम्यता चाहते हों, वे राज्य पारेषण उपक्रम के राज्यांतरिक पारेषण तंत्र में और/अथवा किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र में सुगम्यता के लिए पात्र होंगे।
- (2) ऐसी सुगम्यता किसी ग्राहक को, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले प्रभारों के भुगतान की दशा में, प्राप्त होगी।
- (3) कोई राज्यांतरिक उपयोगकर्ता अथवा ऐसा आवेदक जिसे शोधक्षम (इनसाल्वेंट) या दीवालिया घोषित किया जा चुका हो अथवा जिस पर, पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के देयक या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क या प्रभार का भुगतान बकाया है, वह सुगम्यता हेतु पात्र नहीं होगा। संपर्क अभिकरण ऐसे राज्यांतरिक उपयोगकर्ता या आवेदक को सुगम्यता की स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा जिसने अनुसूचित अंतरपरिवर्तन प्रभारों (यू.आई.चार्जर्स), पारेषण प्रभारों, व्हीलिंग प्रभारों, प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों (रेक्टिव एनर्जी चार्जर्स) कंजेशन प्रभारों आदि, और राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क तथा अन्य प्रभारों के भुगतान में देयक की देय तिथि से एक माह से अधिक के अवधि की चूक की हो।
- (4) यदि उपयोगकर्ता एक विद्युत व्यवसायी (ट्रेडर) है तो, उसे यथाप्रयोज्य, केन्द्रीय आयोग या राज्य आयोग द्वारा जारी व्यवसाय की वैध अनुज्ञप्ति की प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

- (5) सुगम्यता उन्ही राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमत होगी, जिनके पास अनुज्ञप्तिधारी के किसी ग्रिड उपकेन्द्र से उद्भूत, स्वार्पित (डेडिकेटेड) फीडर के माध्यम से, राज्य भार प्रेषण केन्द्र से, ऑन लाईन डाटा संचार सुविधाओं के साथ, संयोजन उपलब्ध होगा; परन्तु, ऐसे थोक उपभोक्ता जो स्वार्पित फीडर के माध्यम से संयोजित नहीं हैं, उन्हें सुगम्यता इस शर्त पर उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके पास राज्य भार प्रेषण केन्द्र से ऑन लाईन डाटा संचार सुविधाएँ हों और वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उन्हें सेवित करने वाले फीडरों पर भार-प्रतिबंधों से, यदि कोई हो, सहमत हो।
- (6) वह उत्पादन कंपनी अथवा केप्टिव उत्पादन संयंत्र या विक्रेता, जिसने किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता से विद्युत विक्रय अनुबंध किया हो, किसी समुचित आयोग अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कथित विद्युत विक्रय अनुबंध की शर्तों और निबंधनों के सारवान रूप से उल्लंघन करने के लिए उसके विरुद्ध कोई आदेश या व्यवस्था दिये जाने पर, ऐसे अनुबंध के समय पूर्व समापन की दशा में, समापन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा जिस अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित किया गया हो, उस अवधि की पूर्णता की तिथि, जो भी पहले हो, तक पारेषण हेतु राज्य ग्रिड का उपयोग करने और विद्युत की व्हीलिंग हेतु अर्ह नहीं होगा।
- 6. मौजूदा (विद्यमान) एककों (इन्टाइटी) हेतु प्रावधान**  
वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के लागू होने की दिनांक को, राज्य में राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र का उपयोग किसी विद्यमान अनुबंध/संविदा के अंतर्गत कर रहे हों, उस अनुबंध/संविदा की शर्तों और निबंधनों के अधीन पारेषण और वितरण तंत्र की सुगम्यता को जारी रखने हेतु, पात्र होंगे।
- 7. सुगम्यता की अनुमति देने के लिए मानदण्ड—**
- (1) दीर्घावधिक सुगम्यता प्रदान करने से पूर्व, राज्य पारेषण उपक्रम और/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुमोदित की गई व्यवसाय योजना के अंतर्गत राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र के प्रस्तावित आवर्धन को ध्यान में रखेगा।
- (2) मध्यम अवधि की सुगम्यता तभी स्वीकृत की जावेगी, जबकि पारिणामिक (रिसल्टेंट) विद्युत प्रवाह को विद्यमान राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र के भीतर समाहित किया जा सकता है; परन्तु, मात्र मध्यम अवधि की सुगम्यता को स्वीकृत करने के उद्देश्य से किसी राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र में कोई आवर्धन नहीं किया जाएगा।
- (3) अल्प अवधि की सुगम्यता का ग्राहक, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र में से दीर्घावधिक सुगम्यता ग्राहक और मध्यम अवधि की सुगम्यता के ग्राहक के उपयोग के बाद:—  
(क) तंत्र के रूपांकन में अंतर्निहित अतिरिक्त परिसीमा (डिजाईन मार्जिन);  
(ख) विद्युत प्रवाह में उतार-चढ़ाव के कारण उपलब्ध अतिरिक्त परिसीमा;  
(ग) भावी भार वृद्धि प्रबंधन हेतु तैयार की गई पारेषण क्षमता और/या वितरण क्षमता में अंतर्निहित क्षमता की वजह से उपलब्ध गुंजाइश।  
के कारण उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का अल्प अवधि की सुगम्यता के लिए पात्र होगा।
- (4) स्वार्पित पारेषण लाइन के निर्माण का अर्थ पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र में आवर्धन से नहीं लगाया जाएगा।
- 8. सापेक्ष आबंटन की प्राथमिकता—**
- (1) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सुगम्यता की क्षमता के आबंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होगी, चाहे वह दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि या अल्प अवधि की सुगम्यता हो।
- (2) दीर्घ अवधि हेतु सुगम्यता चाहने वाले आवेदक को, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र के उपयोग हेतु, मध्यम अवधि की सुगम्यता चाहने वाले आवेदक पर प्राथमिकता प्राप्त होगी।
- (3) दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि की सुगम्यता चाहने वाले आवेदक, अल्प अवधि सुगम्यता के आवेदक पर, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र की सुगम्यता हेतु प्राथमिकता प्राप्त करेंगे।

- (4) दीर्घ अवधि अथवा मध्यम अवधि की सुगम्यता हेतु आवेदनों पर “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर अलग अलग कार्यवाही की जाएगी;  
परन्तु, किसी कैलेण्डर माह के दौरान दीर्घ अवधि की सुगम्यता और मध्यम अवधि की सुगम्यता हेतु प्राप्त हुए आवेदन, एक साथ प्राप्त हुए माने जाएंगे;  
फिर भी, किसी माह के दौरान प्राप्त, मध्यम अवधि की सुगम्यता आवेदनों का निराकरण करते समय, ऐसे आवेदन, जिनमें अपेक्षाकृत दीर्घतर अवधि हेतु सुगम्यता चाही गई हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी;  
परन्तु, यह भी कि, ऐसी दशा में जहाँ दीर्घ अवधि सुगम्यता के लिए आवेदनों में पारेषण तंत्र की आवर्धन या आयोजना की आवश्यकता हो, वहाँ ऐसा आवर्धन या आयोजना, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक वर्ष के 30 जून और 31 दिसम्बर को विचारणीय होगी, जिससे आयोग द्वारा अनुमोदित संपूर्ण पारेषण योजनाओं के साथ एक समन्वित पारेषण योजना तैयार की जा सके।

#### 9. इन्टरफेस मीटर—

- (1) उस राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता के लिए, जिसने राज्य पारेषण उपक्रम या किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजन चाहा है, इन्टरफेस मीटर (मुख्य मीटर) का प्रतिष्ठापन और संधारण, उस राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसकी लागत लेकर किया जाएगा।
- (2) उस राज्यांतरिक उपयोगकर्ता के लिए, जो राज्य पारेषण उपक्रम या किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजित है, इन्टरफेस मीटर (मुख्य मीटर) का प्रतिष्ठापन और संधारण राज्य पारेषण उपक्रम या उस पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, उसकी लागत पर किया जाएगा।
- (3) पृथक मीटरिंग उपकरणों वाले चैक मीटर का प्रतिष्ठापन और संधारण राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जावेगा और उसका स्वामित्व भी उसी का होगा।
- (4) राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता या उपयोगकर्ता या आवेदक, संवाद एवं समको के संवहन (वायरस एंड डाटा कम्यूनिकेशन) और संचालन संबंधी ब्यौरों जैसे वोल्टेज आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी), भार प्रवाह (लोड फ्लो) इत्यादि के ऑन लाईन अंतरण हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करावेगा। राज्य पारेषण उपक्रम या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उस अनुरोधकर्ता या उपयोगकर्ता या आवेदक से लागत की राशि लेकर, इसके लिए आधार भूत सुविधायें प्रतिष्ठापित करेगा।
- (5) मुख्य मीटरों और चैक मीटरों के लिए अंतर्संयोजन बिन्दु पर मीटरिंग, सहयोज्य (कम्पेटिबल) एबीटी मीटर के अनुरूप होगी। मीटरिंग से संबंधित समस्त मामले और व्यवस्थाएं, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (प्रतिष्ठापन और संचालन) विनियम, 2006 और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड संहिता, 2007, के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगी। उत्पादक अथवा केप्टिव उत्पादन संयंत्र द्वारा, ग्रिड में डाली जानी वाली (अंतःक्षेपित) विद्युत की मात्रा को नापने के लिए, इन्टरफेस मीटर, अनुज्ञप्तिधारी के ग्रिड उपकेन्द्र पर प्रतिष्ठापित किये जायेंगे। सुगम्यता के माध्यम से विद्युत लेने वाले थोक उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत आहरण के मापन के लिए इन्टरफेस मीटर उन उपभोक्तों के परिसरों में प्रतिष्ठापित किये जायेंगे।
- (6) संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुगम्यता ग्राहक की उपस्थिति में, कालावधिक परीक्षण तथा मानक अंकण कर, मुख्य तथा जॉच मीटरों को सदैव अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा। मीटरों को उभय पक्ष की उपस्थिति में मुहरबंद किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण मीटरों को तत्काल बदल दिया जाएगा।
- (7) मुख्य तथा जॉच मीटरों का कालावधिक वाचन, नियत दिनोंक व समय पर, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत, उसके किसी अधिकारी द्वारा, सुगम्यता ग्राहक अथवा उसके किसी प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्पर्क अधिकरण और मुक्त उपयोग ग्राहक, जैसी भी स्थिति हो को, मीटर वाचन के चौबीस घंटे के भीतर वाचन की संसूचना दी जावेगी।
- (8) यदि किसी माह में मुख्य और जॉच मीटरों के वाचन का अंतर, इस हेतु मान्य सीमा से अधिक पाया जाता है तो मुख्य और जॉच मीटरों को बारी-बारी से जॉचा जाएगा तथा विभिन्न स्तरों

पर मानक प्रक्रिया के अनुसार, त्रुटियाँ ज्ञात कर, वाचन निर्धारित किया जाएगा और तदनुसार बिलिंग की जाएगी।

- (9) यदि मुख्य मीटर त्रुटिपूर्ण अथवा बंद पाया जाये, तो बिलिंग के उद्देश्य से जॉच मीटर की रीडिंग मान्य होगी, बशर्ते जॉच मीटर ठीक से काम करता पाया जाए।
- (10) उस अवधि के दौरान, जब मुख्य व जॉच मीटर दोनों कार्य न कर रहे हों, विद्युत के अंतर्विनिमय की दशा में, उसका निर्धारण, उत्पादक के प्रेषण बिन्दु पर लगे मीटर, यदि वह सही ढंग से कार्य कर रहा हो तो, द्वारा दर्ज मापन के आधार पर, विगत उन तीन महीनों के, जब दोनों मीटर (इंटरफेस और उत्पादक के सिरे का मीटर) सही ढंग से कार्य कर रहे थे, विद्युत के लाइन क्षय के प्रतिशत को ध्यान में रखकर, किया जायेगा।
- (11) मुख्य और जॉच मीटरों के साथ उत्पादक के प्रेषण सिरे के मीटरों के भी खराब होने की दशा में राज्य ग्रिड में अंतःक्षेपित विद्युत का निर्धारण, अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित उपकेन्द्र की, पूर्व के तीन माह की विद्युत हानि के औसत के आधार पर किया जा सकता है, जबकि मुख्य/जॉच मीटर, ढंग से कार्यशील रहे हों।
- (12) ऐसे थोक उपभोक्ता के, जो सुगम्यता प्राप्त कर रहा है, परिसर के मीटर, त्रुटियुक्त हो जाते हैं तो, विद्युत के आहरण का निर्धारण, समय-समय पर यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता के उपभोक्ताओं हेतु विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

### भाग-3 संयोजकता

#### 10. संयोजकता की स्वीकृति-

- (1) उत्पादन केन्द्र/केप्टिव उत्पादन संयंत्र द्वारा, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और वितरण तंत्र में विद्युत के अंतःक्षेपण हेतु, वोल्टेज स्तर वही होगा जो अंतःक्षेपित विद्युत मात्रा के संदर्भ में राज्य ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट हो।
- (2) किसी उपभोक्ता द्वारा राज्यांतरिक पारेषण और वितरण तंत्र में विद्युत आहरण हेतु (अर्थात् सुगम्यता और अनुज्ञप्तिधारी से संविदाकृत मांग हेतु) वोल्टेज स्तर, राज्य प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगा।
- (3) **संयोजकता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया**
  - (i) **राज्य पारेषण उपक्रम के तंत्र से संयोजकता**
    - क. आवेदन के साथ, इन विनियमों की तालिका-1 में विनिर्दिष्ट, एक गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा।
    - ख. संयोजन के लिए आवेदन, विहित प्रपत्र में सम्पर्क अभिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें, राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता की प्रस्तावित भौगोलिक स्थिति, विद्युत के अंतर्विनिमय की अधिकतम मात्रा (अर्थात् अंतःक्षेपित की जाने वाली विद्युत की अधिकतम मात्रा एवं राज्यांतरिक तंत्र से आहरित की जाने वाली विद्युत की अधिकतम मात्रा) और ऐसे अन्य विवरण होंगे जिन्हें विस्तृत प्रक्रिया में दर्शाया गया हो।
    - ग. परन्तु, जिन प्रकरणों में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया हो और बाद में राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता की भौगोलिक स्थिति में अथवा राज्यांतरिक पारेषण तंत्र से विद्युत के अंतर्विनिमय की प्रस्तावित अधिकतम मात्रा में कोई सारवान परिवर्तन हो जाता है, वहाँ राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता को नया आवेदन देना होगा, जिसे इन विनियमों के अनुसार, विचार में लिया जाएगा।
    - घ. आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् सम्पर्क अभिकरण, उभयपक्षीय संव्यवहार में लिप्त अन्य अभिकरणों के परामर्श और समन्वय से, उस पर कार्यवाही करेगा और अंतर्संयोजन हेतु समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजकता हेतु तकनीकी मानदण्ड)विनियम, 2007 द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक अध्ययन सम्पन्न करायेगा।
    - ङ. जब केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित कोई उत्पादक केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता हो तो, अंतर्संयोजन बिन्दु, अनुज्ञप्तिधारी का उपकेन्द्र रहेगा और अंतर्संयोजन की लागत राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता (राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर) द्वारा वहन की जावेगी। संयोजकता को स्वीकृत करते समय, सम्पर्क अभिकरण, उपकेन्द्र या पूलिंग केन्द्र या स्विचयार्ड, जहाँ पर संयोजकता स्वीकृत की

जानी है, का नाम विनिर्दिष्ट करेगा। सम्पर्क अभिकरण स्वार्पित (डेडिकेटेड) पारेषण लाइन को यदि यह कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूरा किया जाना है, पूरा करने की समय सीमा भी संसूचित करेगा। जिस प्रकरण में लाइन संबंधी कार्य, राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता को निष्पादित करना हो वहाँ स्वार्पित पारेषण लाइन के प्रतिरूप की विस्तृत जानकारी (विवरण) और अन्य तकनीकी विनिर्दिष्टियाँ सम्पर्क अभिकरण द्वारा, आवश्यक प्रभारों के भुगतान पर उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

च. राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता और राज्य पारेषण उपक्रम को, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजकता हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

छ. राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता के तंत्र से पारेषण उपक्रम तंत्र के प्रत्येक संयोजन को, राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता और राज्य पारेषण उपक्रम के बीच संयोजन अनुबंध में समाहित किया जावेगा। ऐसे राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता, जिसे संयोजकता स्वीकृत की गई हो, उसे राज्य पारेषण उपक्रम के साथ भौतिक अंतर्संयोजन करने से पूर्व, एक 'संयोजन-अनुबंध' पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(ii) **राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र से संयोजकता (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा)**

यह विनियम 3(ii) तब प्रयोज्य होगा, जब राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा) के तंत्र से विद्युत का अंतःक्षेपण और/या निकासी प्रस्तावित हो और राज्य पारेषण उपक्रम के तंत्र की उस प्रस्तावित संव्यवहार में कोई भूमिका नहीं हो। उपर्युक्त विनियम 3(i) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया ऐसे राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता के प्रकरणों में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित स्वयमेव लागू होगी, जो राज्यांतरिक अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा) में संयोजकता के इच्छुक हैं। तथापि, राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता के तंत्र से राज्यांतरिक पारेषण तंत्र (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा) के प्रत्येक संयोजन को राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य पारेषण उपक्रम के बीच के संयोजन अनुबंध (त्रिपक्षीय अनुबंध) में समाहित किया जावेगा।

(iii) **वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजकता-**

क. उपर्युक्त विनियम 3(i) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, ऐसे राज्यांतरिक अनुरोधकर्ताओं के प्रकरणों में भी आवश्यक परिवर्तन के साथ प्रयोज्य होगी, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र से संयोजकता प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

ख. राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता के तंत्र से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र के प्रत्येक संयोजन को, राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बीच संयोजन अनुबंध में समाहित किया जायेगा।

(4) संयोजकता के स्वीकृत हो जाने मात्र से किसी राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता को ग्रिड के साथ विद्युत के अंतर्विनियम की अर्हता तब तक प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि वह दीर्घ अवधि या मध्यम अवधि या अल्प अवधि की सुगम्यता प्राप्त न कर ले।

(5) केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित उस उत्पादन कंपनी को, जिसे राज्य ग्रिड से संयोजकता प्रदान की गई हो, अपना वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने के पूर्व राज्य भार प्रेषण केन्द्र की अनुमति लेकर, परीक्षण संचालन (पूर्ण भार परीक्षण सहित) हेतु ग्रिड में अस्थायी विद्युत अंतःक्षेपित करने की, यहाँ तक कि किसी प्रकार की सुगम्यता प्राप्त किये बिना भी, छूट होगी। राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसी अनुमति प्रदान करते समय, ग्रिड की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। परीक्षण के दौरान उत्पादन कंपनी या उसकी ईकाई द्वारा प्रयोज्य प्रभार एवं अंतःक्षेपित अस्थायी विद्युत का टैरिफ तथा उसके द्वारा देय परीक्षण प्रभारों का निर्धारण, समय-समय पर आयोग द्वारा किया जायेगा। तथापि, अस्थायी विद्युत अंतःक्षेपण के पूर्व उस उत्पादन केन्द्र (केप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य इस हेतु अनुबंध होना आवश्यक है, अन्यथा वह अस्थायी विद्युत के एवज में भुगतान प्राप्त नहीं कर सकेगा।

(6) ऐसे राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए, जो राज्य ग्रिड से पूर्व संयोजित हो अथवा मौजूदा प्रबंध के तहत जिन्हें संयोजकता प्रदान की गई हो, उसी क्षमता पर संयोजकता हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, क्षमता का विस्तार होने पर, केप्टिव उत्पादन



संयंत्र सहित उत्पादक के लिए और विद्युत की आवश्यकता में वृद्धि होने पर केप्टिव उपयोगकर्ता सहित थोक उपभोक्ता के लिए, यह आवश्यक होगा कि वह संयोजकता प्रबंध में विनियमों तथा विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने तथा उसे एक राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता मानने हेतु नया आवेदन प्रस्तुत करे। तथापि, मौजूदा राज्यांतरिक उपयोगकर्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी के साथ संयोजन अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

- (7) किसी राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह अंतर्संयोजन बिन्दु तक स्वार्पित (डेडिकेटेड) लाइन निर्मित करे जिससे ग्रिड के साथ संयोजकता संभव हो सके। यदि कोई राज्यांतरिक उपयोगकर्ता एक उत्पादन केन्द्र अथवा केप्टिव उत्पादन संयंत्र है तो वह अपनी स्वार्पित पारेषण लाइन को संचालित एवं संधारित कर सकेगा।

तालिका -1 संयोजकता								
क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का तंत्र जहाँ संयोजकता की आवश्यकता है	संपर्क अभिकरण	आवेदक	राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र से ऊर्जा की अधिकतम अंतःक्षेपित की जानी वाली/प्राप्त की जाने वाली मात्रा	आवेदन शुल्क (लाख रूपयों में)	आवेदन पर कार्यवाही तथा कार्य निष्पादन की समय सीमा		
1.	राज्य पारेषण उपक्रम(एस.टी.यू)	राज्य पारेषण उपक्रम(एस.टी.यू)	उत्पादक कंपनी या केप्टिव उत्पादन संयंत्र	1 मेगावॉट व अधिक 50 मेगावॉट तक	2	1. आवेदन प्राप्ति के पश्चात् व्यवहार्यता सूचित करना-तीस कार्यशील दिवस 2. अनुमानित प्रभारों का मॉगपत्र जारी करना व्यवहार्यता सूचना के पश्चात- साठ कार्यशील दिवस अर्थात् परिपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से आवेदन प्रसंस्करण के लिए अधिकतम 90 कार्यशील दिवस 3. संयोजकता के निष्पादन की समय सीमा प्रदाय संहिता में ईएचटी संयोजन हेतु यथानिर्धारित		
				50 मेगावॉट से अधिक एवं 250 मेगावॉट तक	4			
				250 मेगावॉट से अधिक व 1000 मेगावॉट तक	6			
				1000 मेगावॉट से अधिक	9			
				थोक उपभोक्ता, केप्टिव उपयोगकर्ता	एक मेगावॉट व अधिक एवं 50 मेगावॉट तक		2	उपरिलिखित
अनुज्ञप्तिधारी	50 मेगावॉट से अधिक	4						
विस्तृत प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट होगी।								
2.	एस.टी.यू. के अलावा अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी	उत्पादक कंपनी या केप्टिव उत्पादन प्लॉट	1 मेगावॉट व अधिक 50 मेगावॉट तक	2	उपरिलिखित		
				50 मेगावॉट से अधिक 250 मेगावॉट तक	4			
				250 मेगावॉट से अधिक	6			
				थोक उपभोक्ता, केप्टिव उपयोगकर्ता	1 मेगावॉट व अधिक 50 मेगावॉट तक		2	उपरिलिखित
				अनुज्ञप्तिधारी	50 मेगावॉट से अधिक		4	
विस्तृत प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट होगी।								
3.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	उत्पादन कंपनी या केप्टिव उत्पादन तंत्र	15 मेगावॉट व उससे कम	2	प्रदाय संहिता के एच टी संयोजन के प्रावधान के अनुसार		
			थोक उपभोक्ता, केप्टिव उपयोगकर्ता	1 मेगावॉट से 9 मेगावॉट	2	प्रदाय संहिता के एच. टी. संयोजन के प्रावधान के अनुसार		

## भाग-4 सुगम्यता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

### 11. सुगम्यता ग्राहकों की श्रेणियां

सुगम्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क का भुगतान और आवेदन के निपटारे हेतु समय सीमा निम्नलिखित मान-दण्डों पर आधारित होगी:-

**(1) आहरण और अंतःक्षेपण बिन्दुओं की आपसी स्थिति:**

- I. अंतःक्षेपण और आहरण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति राज्य पारेषण तंत्र (राज्य पारेषण उपक्रम केन्द्र) पर हो।
- II. अंतःक्षेपण और आहरण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर अन्य), राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क की है और उसमें विद्युत को ले जाने के लिए राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क की कोई भूमिका नहीं है।
- III. अंतःक्षेपण और आहरण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति क्रमशः राज्य पारेषण उपक्रम तथा राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) के नेटवर्क की है अथवा इसके विपरीत है अर्थात् विद्युत को ले जाने के लिए दोनों अनुज्ञप्तिधारियों के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है।
- IV. अंतःक्षेपण और आहरण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति क्रमशः राज्यांतरिक पारेषण तंत्र (राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी) एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर है।
- V. अंतःक्षेपण और निकासी बिन्दुओं की परस्पर स्थिति क्रमशः वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र और राज्यांतरिक पारेषण तंत्र (राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी) पर है।
- VI. अंतःक्षेपण और आहरण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र पर है और उसमें विद्युत को ले जाने में राज्यांतरिक पारेषण तंत्र की कोई भूमिका नहीं है।
- VII. अंतःक्षेपण और आहरण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र पर है लेकिन विद्युत को ले जाने में राज्यांतरिक पारेषण तंत्र की भी भूमिका है।
- VIII. अंतःक्षेपण और आहरण बिन्दुओं की परस्पर स्थिति उसी राज्य में है किन्तु विभिन्न वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के क्षेत्रों में है।

IX. अंतःक्षेपण और निकासी बिन्दुओं की परस्पर स्थिति विभिन्न राज्यों में है (अंतर्राज्यीय सुगम्यता)।

(2) सुगम्यता की अवधि:

- i. दीर्घावधिक सुगम्यता
- ii. मध्यम अवधि की सुगम्यता
- iii. अल्पावधिक सुगम्यता

12. सुगम्यता के लिए आवेदन की प्रक्रिया:

(1) दीर्घावधिक सुगम्यता, मध्यम अवधि की सुगम्यता और अल्पावधिक सुगम्यता हेतु समस्त आवेदन, जैसा कि विस्तृत प्रक्रिया में अनुमोदित है वैसे विहित प्रपत्र में किये जाएंगे और उन्हें इन विनियमों के अनुसरण में संपर्क अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) सुगम्यता की मांग करने वाले समस्त आवेदक, इस आशय का वचनबंध अथवा घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि उस क्षमता (विद्युत की मात्रा) जिसके लिए सुगम्यता मांगी जा रहा है, हेतु कोई विद्युत क्रय अनुबंध अथवा कोई अन्य पारस्परिक अनुबंध पहले से नहीं किया गया है।

परन्तु, जहाँ आवेदकों और अनुज्ञप्तिधारी या विक्रेता या क्रेता के बीच, जैसी भी स्थिति हो, सुगम्यता हेतु प्रस्तावित क्षमता हेतु कोई द्विपक्षीय अनुबंध मौजूद है वहाँ संबंधित अनुज्ञप्तिधारी, क्रेता या विक्रेता से, आवेदक द्वारा वांछित सुगम्यता की अवधि के लिए “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्राप्त किया जा सकेगा। सुगम्यता के लिए अपने आवेदन को संपर्क अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते समय आवेदक ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र को संलग्न करेगा।

(3) संपर्क अभिकरण, आवेदन शुल्क, आवेदन के साथ संलग्न होने वाले दस्तावेज तथा आवेदन के निपटारे हेतु समय सीमा आदि वहीं होंगे, जो निम्नलिखित तालिकाओं में विनिर्दिष्ट दिये गये हैं:—

तालिका-2					
दीर्घ-अवधि की सुगम्यता					
क्र.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु की पारस्परिक स्थिति	सम्पर्क अभिकरण	आवेदक शुल्क (लाख रुपयों में)	आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज	आवेदन के निराकरण की समय सीमा (आवेदन प्राप्ति के पश्चात् दिवस)

1.	दोनों राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क में	राज्य पारेषण उपक्रम	2	आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण, बैंक गारंटी, पी.पी.ए. अथवा ऊर्जा का क्रय-विक्रय अनुबंध, उत्पादन केन्द्र व उपभोक्ता के ग्रिड से संयोजन न होने की स्थिति में, संयोजन के पूर्ण होने का दस्तावेजी प्रमाण जो यह दर्शाए कि संयोजन दीर्घ अवधि सुगम्यता की आशयित तिथि से पूर्व हो जायेगा। इस आशय का घोषणा पत्र कि इच्छित सुगम्यता की क्षमता (विद्युत की मात्रा) हेतु कोई मौजूदा अनुबंध नहीं है।	90 कार्यशील दिवस। आवेदन के निराकरण का आशय दीर्घ अवधि सुगम्यता की स्वीकृति होगा।
2.	राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा) नेटवर्क में और जहाँ राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क की विद्युत ले जाने में कोई भूमिका न हो।	संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी	2	उपरिलिखित	उपरिलिखित
3.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क व राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा), के नेटवर्क पर स्थित हो या इसके विपरीत।	राज्य पारेषण उपक्रम	4	उपरिलिखित, (इसके अतिरिक्त) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति भी आवश्यक है।	90 कार्यशील दिवस
4.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र व वितरण क्रमशः अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र पर स्थित है।	राज्य पारेषण उपक्रम	4	उपरिलिखित, (इसके अतिरिक्त) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति आवश्यक है।	90 कार्यशील दिवस
5.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु क्रमशः, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तंत्र व राज्यांतरिक पारेषण तंत्र पर स्थित है।	राज्य पारेषण उपक्रम	4	उपरिलिखित, (इसके अतिरिक्त) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति आवश्यक है।	90 कार्यशील दिवस
6.	उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र में दोनों स्थित है और राज्य पारेषण नेटवर्क की कोई भूमिका नहीं है।	संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी	2	उपरिलिखित	90 कार्यशील दिवस
7.	उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र में दोनों स्थित है परन्तु विद्युत संयोजन में राज्य पारेषण नेटवर्क की भी भूमिका होगी।	राज्य पारेषण उपक्रम	4	उपरिलिखित (इसके अतिरिक्त) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति आवश्यक है।	उपरिलिखित
8.	उसी राज्य में से दोनों, परन्तु विभिन्न वितरण अनुज्ञप्तिधारी।	राज्य पारेषण उपक्रम	4	उपरिलिखित, (इसके अतिरिक्त) दोनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति भी आवश्यक है।	उपरिलिखित
9.	विभिन्न राज्यों में, (अंतर्राज्यीय सुगम्यता)	केन्द्रीय पारेषण उपक्रम	केन्द्रीय आयोग विनियम के अनुसार	आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण, पी.पी. ए. अथवा ऊर्जा का क्रय-विक्रय अनुबंध, उत्पादन केन्द्र व उपभोक्ता के ग्रिड से संयोजन न होने की स्थिति में, संयोजन के पूर्ण होने का दस्तावेजी प्रमाण जो यह दर्शाए कि संयोजन एल.टी.ओ.ए. की आशयित तिथि से पूर्व हो जायेगा, संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्रों व वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति, भी लागू हो। इस आशय का घोषणा पत्र कि इच्छित सुगम्यता की क्षमता (विद्युत की मात्रा) हेतु कोई मौजूदा अनुबंध नहीं है। केन्द्रीय	केन्द्रीय आयोग विनियम के अनुसार

			आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अन्य दस्तावेज।
--	--	--	---

टीप: पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी से सहमति के लिए आवेदन शुल्क रु. 2 लाख होंगे।

तालिका-3					
मध्यम-अवधि की सुगम्यता					
क्र.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु की पारस्परिक स्थिति	सम्पर्क अभिकरण	आवेदक शुल्क (लाख रूपयों में)	आवेदक के साथ आवश्यक दस्तावेज	आवेदन के निराकरण की समय सीमा (आवेदन प्राप्ति के पश्चात् दिवस)
1.	दोनों राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क में हो	राज्य पारेषण उपक्रम	1	आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण, बैंक गारंटी, पी.पी.ए. अथवा ऊर्जा का क्रय-विक्रय अनुबंध, उत्पादन केन्द्र व उपभोक्ता के ग्रिड से संयोजन न होने की स्थिति में, संयोजन के पूर्ण होने का दस्तावेजी प्रमाण जो यह दर्शाये कि संयोजन मध्यम अवधि की सुगम्यता की आशयित तिथि से पूर्व हो जायेगा। इस आशय का घोषणा पत्र कि इच्छित सुगम्यता जिस क्षमता (विद्युत की मात्रा) हेतु चाही गई है, उसके लिए अन्य कोई मौजूदा अनुबंध नहीं है।	30 कार्यशील दिवस।
2.	दोनों राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा) नेटवर्क में से और जहाँ राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क की विद्युत ले जाने में कोई भूमिका न हो।	संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी	1	उपरिलिखित	उपरिलिखित
3.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, क्रमशः राज्य पारेषण उपक्रम नेटवर्क व राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नेटवर्क या इसके विपरीत स्थित हो।	राज्य पारेषण उपक्रम	2	उपरिलिखित। (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति भी इसके अतिरिक्त आवश्यक है)	40 कार्यशील दिवस
4.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र व वितरण अनुज्ञप्तिधारी तंत्र पर क्रमशः स्थित है।	राज्य पारेषण उपक्रम	2	उपरिलिखित। (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति भी इसके अतिरिक्त आवश्यक है)	30 कार्यशील दिवस
5.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तंत्र व अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र पर क्रमशः स्थित है।	राज्य पारेषण उपक्रम	2	उपरिलिखित। (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति भी इसके अतिरिक्त आवश्यक है)	30 कार्यशील दिवस
6.	उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र में दोनों हो और राज्य पारेषण नेटवर्क की कोई भूमिका हो।	संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी	1	उपरिलिखित	30 कार्यशील दिवस
7.	उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र में दोनों हो, परन्तु विद्युत संवहन में राज्य पारेषण नेटवर्क की भी भूमिका हो।	राज्य पारेषण उपक्रम	2	उपरिलिखित। (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति भी इसके अतिरिक्त आवश्यक है)	30 कार्यशील दिवस
8.	उसी राज्य में दोनों हो परन्तु विभिन्न वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र में हो;	राज्य पारेषण उपक्रम	2	उपरिलिखित (दोनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति भी इसके अतिरिक्त आवश्यक है)	30 कार्यशील दिवस
9.	विभिन्न राज्यों में, अर्थात् अंतर्राज्यीय	केन्द्रीय पारेषण उपक्रम	केन्द्रीय आयोग	आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण, पी.पी.ए. अथवा ऊर्जा का	केन्द्रीय आयोग

			विनियम के अनुसार	<p>क्रय-विक्रय अनुबंध, उत्पादन केन्द्र व उपभोक्ता के ग्रिड से संयोजन न होने की स्थिति में, संयोजन के पूर्ण होने का दस्तावेजी प्रमाण जो यह दर्शाए कि संयोजन मध्यम अवधि की सुगम्यता की आशयित तिथि से पूर्व हो जायेगा, संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र व वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति, पर लागू हो, इस आशय का घोषणा पत्र कि इच्छित सुगम्यता की क्षमता (विद्युत की मात्रा) हेतु कोई अन्य मौजूदा अनुबंध नहीं है व केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अन्य दस्तावेज</p>	विनियम के अनुसार
--	--	--	------------------	---	------------------

टीप: पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी से सहमति के लिए आवेदन शुल्क रु.

1 लाख होंगे।

तालिका-4					
अल्प-अवधि की सुगम्यता					
क्र.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु की पारस्परिक स्थिति	सम्पर्क अभिकरण	आवेदक शुल्क (लाख रुपयों में)	आवेदक के साथ आवश्यक दस्तावेज	आवेदन के निपटारे की समय सीमा (आवेदन प्राप्ति के पश्चात् दिवस)
1.	दोनों राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क में हों	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	2500	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण। इस आशय का घोषणा पत्र कि उस क्षमता हेतु कोई अन्य मौजूदा अनुबंध नहीं है जिसके लिए सुगम्यता मांगी जा रही है।	पहली बार अल्प अवधि की सुगम्यता के आवेदन की स्थिति में 10 कार्यशील दिवस। पश्चातवर्ती अल्प अवधि की सुगम्यता के आवेदन की स्थिति में 7 कार्यशील दिवस। आवेदन में त्रुटि या कमी की सूचना देने हेतु 2 कार्यशील दिवस।
2.	दोनों राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा) नेटवर्क में हों और जहाँ राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क की विद्युत ले जाने में कोई भूमिका न हो।	संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी	2500	उपरिलिखित	उपरिलिखित
3.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, क्रमशः राज्य पारेषण उपक्रम नेटवर्क व राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा) में या इसके विपरीत क्रम में स्थित है।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	5000	उपरिलिखित। (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की भी सहमति इसके अतिरिक्त आवश्यक है)	उपरिलिखित
4.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र व वितरण अनुज्ञप्तिधारी तंत्र पर क्रमशः स्थित है।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	5000	उपरिलिखित। (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की भी सहमति इसके अतिरिक्त आवश्यक हो)	उपरिलिखित
5.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तंत्र व अंतर्राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर, क्रमशः स्थित है।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	5000	उपरिलिखित। (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति भी इसके अतिरिक्त आवश्यक है)	उपरिलिखित
6.	उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र में दोनों स्थित हो और राज्य पारेषण नेटवर्क की कोई भूमिका नहीं हो।	संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी	2500	उपरिलिखित	उपरिलिखित
7.	उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र में दोनों स्थित हो परन्तु विद्युत संवहन में राज्य पारेषण नेटवर्क की भी भूमिका होगी।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	5000	उपरिलिखित। वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति के अतिरिक्त आवश्यकता है।	उपरिलिखित
8.	उसी राज्य में दोनों हो परन्तु भिन्न-भिन्न वितरण अनुज्ञप्तिधारी हो।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र	5000	उपरिलिखित। (वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति भी इसके अतिरिक्त आवश्यक है)	उपरिलिखित
9.	विभिन्न राज्यों में	जहाँ उपभोक्ता स्थित है, उस क्षेत्र का क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार	संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्रों एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सहमति, आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, इस आशय का घोषणा पत्र कि	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार



	(आर.एल.डी.सी.)		इच्छित सुगम्यता की क्षमता (विद्युत की मात्रा) से संबंधित कोई अन्य मौजूदा अनुबंध नहीं है। केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज
--	----------------	--	--

टीप: पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी से सहमति के लिए आवेदन शुल्क रु. 2500 होंगे।

13. राज्य पारेषण उपक्रम/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर)/वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति

(1) अन्तर्राज्यीय सुगम्यता: दीर्घ अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति के आवेदन के प्रकरण में राज्य पारेषण उपक्रम तथा मध्यम अवधि की सुगम्यता और अल्प अवधि की सुगम्यता स्वीकृति के प्रकरण में राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपनी सहमति अथवा असहमति या अन्य मत क्रमशः समय समय पर यथा संशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (संयोजकता की स्वीकृति, अंतर्राज्यीय पारेषण में दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि की सुगम्यता और संबंधित मामले) विनियम, 2009 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण में सुगम्यता ) विनियम, 2008 अथवा उनके संविधिक पुनर्विधायन, के प्रावधानों के अनुसार, सूचित करेंगे।

परन्तु, किसी ऐसे उत्पादन केन्द्र अथवा उपभोक्ता के संबंध में जो किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजित हो तथा सुगम्यता प्राप्त करने का इच्छुक हो केन्द्रीय आयोग के विनियमों में यथा वांछित अपनी सहमति केन्द्रीय पारेषण उपक्रम/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर.एल.डी.सी.) को देने से पूर्व राज्य पारेषण उपक्रम/राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उस उत्पादन कंपनी या उपभोक्ता से यह वांछा करेगा कि वह संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की सम्मति प्रस्तुत करे।

(2) राज्यांतरिक सुगम्यता :-

i. जहाँ प्रस्तावित द्विपक्षीय संव्यवहार में कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्तर्ग्रस्त है, वहाँ उस पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति आवेदक द्वारा अग्रिम रूप से प्राप्त की जाएगी और उसे आवेदन पत्र के साथ संपर्क

अभिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, अल्प अवधि की सुगम्यता हेतु अनुज्ञप्तिधारी की सहमति केवल पहली बार प्राप्त की जाएगी। परवर्ती अल्पावधिक सुगम्यता को जारी रखने के लिए आवेदक, अपना आवेदन सीधे संपर्क अभिकरण के पास प्रस्तुत करेगा। इसमें निरंतरता समाप्त हो जाने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी की सहमति फिर से प्राप्त की जाएगी।

ii. ऐसे प्रकरण में जहाँ अनुज्ञप्तिधारी यह पाता है कि सहमति हेतु दिया गया आवेदन किसी प्रकार अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसी कमी या त्रुटि, आवेदक को ई-मेल या फ़ैक्स या सामान्य अनुक्रम में मान्यता प्राप्त संचार के किसी अन्य साधन से, आवेदन की प्राप्ति से, निम्नलिखित समय सीमा में संसूचित करेगा:—

- दीर्घावधिक सुगम्यता – 7 कार्यशील दिवस
- मध्यम अवधि की सुगम्यता – 7 कार्यशील दिवस
- अल्प अवधि की सुगम्यता – 2 कार्यशील दिवस

iii. मध्यम अवधि और अल्प अवधि की सुगम्यता हेतु आवेदन का निराकरण करते समय अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक विनियम 5 में विनिर्दिष्ट पात्रता के मान-दण्ड को पूरा करता है और इस बात से संतुष्ट होने पर कि विनियम 7 (2) अथवा 7(3) जो भी लागू हो, में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है वह निम्नलिखित की पुष्टि करेगा:—

क) राज्य ग्रिड संहिता के लागू प्रावधानों के अनुरूप समय-खण्डवार विद्युत मीटरिंग, लेखांकन और डाटा संचार सुविधाओं हेतु आवश्यक अधोसंरचना की विद्यमानता, और

ख) अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क में क्षमता की उपलब्धता।

iv. इस बात से संतुष्ट होने पर कि सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को अपनी सहमति, ई-मेल या फ़ैक्स या सामान्यतः मान्यता प्राप्त संचार के किसी अन्य साधन से, आवेदन की प्राप्ति से निम्नलिखित समय सीमा में संसूचित करेगा:—

- दीर्घावधिक सुगम्यता – 30 कार्यशील दिवस
  - मध्यम अवधि की सुगम्यता – 30 कार्यशील दिवस
  - अल्प अवधि की सुगम्यता – 10 कार्यशील दिवस
- v. वैसी स्थिति में जहाँ आवेदन व्यवस्थित पाया जाए, लेकिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्हता मान-दण्ड की पूर्ति न होने के आधार पर या आवश्यक अधोसंरचना मौजूद न होने से या अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क में अतिरिक्त क्षमता की अनुपलब्धता की वजह से सहमति देने से इंकार किया जाए, तो वह ऐसा इंकार, आवेदक को ई-मेल या फ़ैक्स या सामान्यतः मान्यता प्राप्त संचार के किसी अन्य साधन से आवेदन की प्राप्ति से निम्नलिखित समय सीमा में संसूचित करेगा:—
- दीर्घावधिक सुगम्यता – 30 कार्यशील दिवस
  - मध्यम अवधि की सुगम्यता – 30 कार्यशील दिवस
  - अल्प अवधि की सुगम्यता – 10 कार्यशील दिवस
- vi. जहाँ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपर्युक्त विनियम (ii) में संदर्भित आवेदन की किसी कमी अथवा त्रुटि को संसूचित नहीं किया गया है, या उपर्युक्त विनियम (iv) और (v) में उल्लिखित सहमति अथवा इंकार विनिर्दिष्ट समयावधि में संसूचित नहीं करता है तो यह मान लिया जावेगा कि सहमति दे दी गई है।
- vii. परन्तु, यह और भी कि जहाँ सहमति अथवा अनापत्ति अथवा पूर्व से निर्धारित अनापत्ति, जैसे भी स्थिति हो, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त किया जाना लिया मान लिया जावे, वहाँ आवेदन देने वाला आवेदक संपर्क अभिकरण को, सम्यक रूप से नोटरी द्वारा पुष्ट एक शपथपत्र (विस्तृत प्रक्रिया में विहित किये गये प्रारूप में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें घोषित किया जाएगा कि—
- क. अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्दिष्ट की गई समय सीमा में, यथास्थिति आवेदन में कोई कमी या त्रुटि या उसका इंकार या सहमति या अनापत्ति या पूर्व में निर्धारित अनापत्ति संसूचित करने में असफल रहा है,

ख. आवेदक के पास यथा-विद्यमान ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुसार, समय खण्डवार विद्युत मीटरिंग और लेखांकन, डाटा संचार आदि के लिए आवश्यक अधोसंरचना मौजूद है और वह पात्रता मान-दण्ड पूरा करता है। आवेदक द्वारा शपथ-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जाएंगे:-

- यदि कोई संसूचित की गई हो, तो इन कमियों को दूर करने अथवा त्रुटियों के सुधार, के बाद उस परिपूर्ण आवेदन की एक प्रति, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सहमति या अनापत्ति अथवा पूर्व निर्धारित अनापत्ति, यथास्थिति प्राप्त करने के लिए दिया गया था,
- पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, यदि कोई हो तो, दी गई अभिस्वीकृति की प्रति, या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन संदत्त किये जाने के समर्थन में कोई अन्य साक्ष्य और,
- इस आशय का एक वचनबंध कि आवेदक द्वारा किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी, क्रेता या विक्रेता से प्रस्तावित विद्युत की मात्रा के लिए, द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु कोई अनुबंध नहीं किया गया है।

## भाग-5

### दीर्घ अवधि की सुगम्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया

14. दीर्घ अवधि की सुगम्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन-

- (1) दीर्घ अवधि की सुगम्यता की स्वीकृति हेतु आवेदन में ऐसे विवरण होंगे, जैसे विद्युत की मात्रा सहित उस एकक अथवा एककों का नाम, जिसे विद्युत का प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है अथवा जिससे विद्युत प्राप्त की जाना प्रस्तावित है, और ऐसे अन्य विवरण जिन्हें आयोग द्वारा विस्तृत प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट किया जाए।

परन्तु, जहाँ सुगम्यता स्वीकृत करने के लिए पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र का अभिवर्धन (ऑगमेंटेशन) आवश्यक हो, और यदि उस व्यक्ति, जिसे विद्युत का प्रदाय किया जाना हो अथवा वह स्रोत, जहाँ से विद्युत प्राप्त की जानी हो, के संबंध में विद्युत की मात्रा सुनिश्चित नहीं की गई हो तो आवेदक उस क्षेत्र के नाम सहित विद्युत की मात्रा दर्शित करेगा जहाँ ऐसी विद्युत का राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र का उपयोग करते हुए अंतर्विनिमय (क्रय या विक्रय, जैसी भी स्थिति हो) प्रस्तावित किया गया है;

परन्तु, फिर भी कि जहाँ राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र में अभिवर्धन आवश्यक हो, वहाँ आवेदक को पारेषण प्रभार और/अथवा व्हीलिंग प्रभार और ऐसे प्रयोज्य प्रभार जो उसके लिए इन विनियमों के अंतर्गत निश्चित किये गये हैं, वहन करने होंगे, भले ही प्रदाय अथवा प्राप्ति का स्रोत चिन्हित न किया गया हो;

परन्तु, इसके अतिरिक्त प्रदाय का निश्चित स्रोत अथवा प्राप्ति का स्थान (डेस्टीनेशन) सुनिश्चित किया जाना हो और तदनुसार दीर्घ अवधि की सुगम्यता प्राप्त करने की इच्छित दिनांक से न्यूनतम तीन वर्ष या ऐसी समयावधि, जिसे राज्य पारेषण उपक्रम और/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण तंत्र और/अथवा पारेषण तंत्र के अभिवर्धन हेतु अनुमानित किया गया हो, जो भी कम हो, से पहले, सम्पर्क अभिकरण को अधिसूचित करना हो ताकि ऐसे अभिवर्धन को सुगम बनाया जा सके वहाँ आवेदक द्वारा इस आशय का एक वचनबंध, संविदा की प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया जाएगा कि उनके द्वारा क्रेता/विक्रेता से, यथास्थिति वैध संविदा कर ली गई है;

परन्तु, इसके बावजूद ऐसे प्रकरणों में, जहाँ आवेदक कि स्थिति में या राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र का उपयोग करते हुए अंतर्विनिमय (अंतःक्षेपण अथवा निकासी, जैसी भी स्थिति हो) की जाने वाली विद्युत की मात्रा में या जिस क्षेत्र से विद्युत प्राप्त की जानी है या जहाँ प्रदाय की जानी है उसमें कोई सारवान परिवर्तन हो, तो नया आवेदन किया जाएगा, जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

- (2) आवेदक सम्पर्क अभिकरण द्वारा चाही गई कोई अन्य जानकारी, जिसमें राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र का उपयोग करते हुए अंतर्विनिमय (अंतःक्षेपण अथवा निकासी, जैसी भी स्थिति हो) विद्युत के आंकलन का आधार सम्मिलित है, और विभिन्न एककों या क्षेत्रों से या उनको पारेषित की जाने वाली विद्युत की जानकारी प्रस्तुत करेगा। जिससे सम्पर्क अभिकरण समग्र रूप से राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र की योजना बना सके।
- (3) आवेदन के साथ पारेषित की जाने वाली कुल विद्युत हेतु रू.10,000/—(दस हजार रूपये मात्र) प्रति मेगावॉट की दर से बैंक की गारंटी संलग्न की जाएगी। यह बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया के अंतर्गत निर्दिष्ट विधि से सम्पर्क अभिकरण के पक्ष में देय होगी।
- (4) ऐसे प्रकरणों में, जहाँ पारेषण/वितरण तंत्र का अभिवर्धन आवश्यक हो, दीर्घावधिक सुगम्यता के अनुबंध के निष्पादन तक और जहाँ पारेषण/वितरण तंत्र का अभिवर्धन आवश्यक न हो, वहाँ दीर्घावधिक सुगम्यता का संचालन प्रारंभ होने तक, रू. 10,000/— (दस हजार रूपय मात्र) की बैंक गारंटी को वैध तथा जीवंत रखा जावेगा।
- (5) सम्पर्क अभिकरण द्वारा ऐसी बैंक गारंटी को नगदीकृत किया जा सकेगा, यदि आवेदक द्वारा आवेदन को वापस ले लिया जाता है अथवा जहाँ पारेषण तंत्र में अभिवृद्धि वांछित नहीं है, ऐसे अधिकारों के संचालनीकरण से पूर्व ही दीर्घ अवधि की सुगम्यता अधिकार छोड़ दिये जाते हैं।
- (6) उपर्युक्त बैंक गारंटी को उन्मोचित माना जावेगा, यदि विस्तृत प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसरण में आवेदक द्वारा, राज्य पारेषण उपक्रम और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति हो, को, निर्माण के चरण में ऐसी बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी जाती है, जो पारेषण तंत्र और/या वितरण तंत्र के अभिवर्धन के आवश्यक होने की दशा में अपेक्षित हो।

## 15. सम्पर्क अभिकरण द्वारा तंत्र संबंधी अध्ययन—

- (1) आवेदन प्राप्त होने पर सम्पर्क अभिकरण, द्विपक्षीय संब्यवहार से संबंधित अन्य अभिकरणों के समन्वय और परामर्श से, आवेदन का निराकरण करेगा और यथासंभव शीघ्रता से तंत्र संबंधी आवश्यक अध्ययन सम्पन्न करायेगा, जिससे विनियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दीर्घ अवधि की सुगम्यता स्वीकृत किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। परन्तु, जहाँ सम्पर्क अभिकरण द्वारा परामर्श और समन्वय की प्रक्रिया में किसी कठिनाई का सामना किया जाए, वहाँ वह समुचित निर्देश प्राप्त करने के लिए आयोग तक पहुंच सकता है।
- (2) तंत्र संबंधी अध्ययन के आधार पर सम्पर्क अभिकरण उस राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र को विनिर्दिष्ट करेगा, जो दीर्घ अवधि की सुगम्यता देने हेतु आवश्यक है। ऐसे प्रकरण में, जहाँ मौजूदा राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र में अभिवृद्धि आवश्यक है, उसकी सूचना आवेदक को प्रदान की जायेगी।

## 16. आवेदक को अनुमानित सुगम्यता प्रभार आदि संसूचित करना

दीर्घ अवधि की सुगम्यता स्वीकृत करते समय, सम्पर्क अभिकरण द्वारा वह संभावित तिथि, जिससे दीर्घ अवधि की सुगम्यता स्वीकृत की जा सकती है और आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, प्रचलित दरों पर आधारित भुगतान योग्य अनुमानित प्रयोज्य प्रभार (नगद और वस्तु के रूप में) संसूचित किये जायेंगे।

## 17. दीर्घावधिक सुगम्यता अनुबंध का निष्पादन

- (1) आवेदक दीर्घावधिक सुगम्यता के लिए निम्नलिखित के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा:

क. उस स्थिति में जब दीर्घ अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 1 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, विस्तृत प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसरण में राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा प्रदान की जाती है— राज्य पारेषण उपक्रम;

- ख. उस स्थिति में जब दीर्घ अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 2 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, विस्तृत प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसरण में किसी राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) द्वारा प्रदान की गई है— राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ;
- ग. उस स्थिति में जब दीर्घ अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 3 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा स्वीकृत की जाती है—राज्य पारेषण उपक्रम और राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ दीर्घावधिक सुगम्यता के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध ;
- घ. उस स्थिति में जब दीर्घ अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 4 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा दी जाती है—राज्य पारेषण उपक्रम और वितरण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घ अवधि की सुगम्यता के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध;
- ङ. उस स्थिति में जब दीर्घ अवधि के पारेषण और वितरण के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 5 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा दी जाती है— राज्य पारेषण उपक्रम और वितरण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घ अवधि की सुगम्यता के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध;
- च. उस स्थिति में जब दीर्घ अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 6 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए जारी की जाती है—वितरण अनुज्ञप्तिधारी ;
- छ. उस स्थिति में जब दीर्घ अवधि के पारेषण और वितरण के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 7 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा दी जाती है— राज्य पारेषण



उपक्रम और वितरण अनुज्ञप्तिधारी से दीर्घ अवधि की सुगम्यता के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध;

ज. उस स्थिति में जब दीर्घ अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 8 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा दी जाती है— राज्य पोरषण उपक्रम और दोनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ दीर्घ अवधि की सुगम्यता के लिए चतुर्पक्षीय अनुबंध;

झ. इन विनियमों की तालिका-2 के सरल क्रमांक 9 में उल्लिखित दीर्घ अवधि अंतर्राज्यीय अनुबंध के लिए केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) दीर्घ अवधि की सुगम्यता के अनुबंध में दीर्घ अवधि सुगम्यता प्रारंभ होने के दिनांक, राज्य ग्रिड में विद्युत के अंतःक्षेपण के बिन्दु तथा राज्य ग्रिड से आहरण के बिन्दु और यदि कोई हों, तो आवश्यक स्वार्पित पारेषण लाइनों के विवरण होंगे। उस स्थिति में जहाँ पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र में अभिवृद्धि करने की आवश्यकता है, दीर्घ अवधि की सुगम्यता के अनुबंध में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदक हेतु सुविधाओं के निर्माण की समयावधि, आवेदक द्वारा दी जाने वाली वांछित बैंक गारंटी और ऐसे अन्य विवरण होंगे जो विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक हैं।

#### 18. राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचना

दीर्घ अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति के तुरन्त पश्चात्, सम्पर्क अभिकरण, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचना देगा, जिससे वह इन विनियमों के अधीन प्राप्त भविष्यगत अल्प अवधि की सुगम्यता के अनुरोधों का निराकरण करते समय इस पर ध्यान दे सके।

#### 19. दीर्घ अवधि के सुगम्यता की समयावधि का पुनःनवीकरण

दीर्घ अवधि के सुगम्यता की समयावधि के समाप्त हो जाने पर, ऐसे दीर्घ अवधि सुगम्यता के ग्राहक के लिखित अनुरोध पर बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा, बशर्ते इस

संबंध में दीर्घ अवधि का सुगम्यता के ग्राहक की ओर से सम्पर्क अभिकरण को विस्तारित अवधि का उल्लेख करते हुए अनुरोध प्राप्त हो जाये;

परन्तु, ऐसा लिखित अनुरोध दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहक द्वारा ऐसे दीर्घ अवधि के सुगम्यता की समाप्ति के दिनांक से न्यूनतम छः माह पूर्व प्राप्त हो जाए;

परन्तु, यह भी कि ऐसी स्थिति में जहाँ दीर्घ अवधि की सुगम्यता ग्राहक की ओर से उपनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर कोई लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं होता तो कथित दीर्घ अवधि की सुगम्यता, स्वीकृत अवधि के पूरा होने के बाद वापस ली गई मानी जावेगी।

## 20. सुगम्यता अधिकारों का त्यागना (रिलीक्विशमेंट)

(1) कोई दीर्घ अवधि सुगम्यता ग्राहक, अपने ऐसे दीर्घ अवधि की सुगम्यता के अधिकारों का पूर्णतः अथवा अंशतः त्याग, ऐसी दीर्घ अवधि की सुगम्यता की अवधि समाप्त होने से पूर्व, निम्नानुसार अवशिष्ट क्षमता हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान करके, कर सकेगा:—

क. ऐसा दीर्घ अवधि का सुगम्यता ग्राहक जिसके द्वारा सुगम्यता अधिकारों का न्यूनतम 12 वर्ष तक प्रयोग किया गया है—

(i) न्यूनतम एक वर्ष की सूचना— यदि ऐसा कोई उपभोक्ता, सम्पर्क अभिकरण को, उस तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व सूचना देता है, जिससे ऐसा उपभोक्ता उपयोग के अधिकारों का त्याग करना चाहे, तो उसे कोई प्रभार नहीं देने होंगे;

(ii) एक वर्ष से कम की सूचना— यदि ऐसा कोई उपभोक्ता, सम्पर्क अभिकरण को, उस तिथि से एक वर्ष से कम अवधि की सूचना देता है, जिससे ऐसा उपभोक्ता उपयोग के अधिकारों का त्याग करना चाहे, तो, उसे ऐसा उपभोक्ता, अनुमानित पारिषण प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66 प्रतिशत के समतुल्य की राशि और/अथवा अवशिष्ट क्षमता हेतु व्हीलिंग प्रभारों (शुद्ध

वर्तमान मूल्य) का एक वर्ष की सूचना अवधि में कम पड़ रही अवधि के लिए, भुगतान करेगा;

ख. ऐसा दीर्घ अवधि का सुगम्यता ग्राहक, जिसके द्वारा सुगम्यता अधिकारों का न्यूनतम 12 वर्ष तक प्रयोग नहीं किया गया है—

ऐसा उपभोक्ता, अनुमानित पारेषण प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66 प्रतिशत के समतुल्य की राशि और/अथवा अवशिष्ट क्षमता हेतु व्हीलिंग प्रभारों का 12 वर्ष के उपयोग अधिकारों में कम पड़ रही अवधि के लिए भुगतान करेगा;

परन्तु, ऐसा कोई उपभोक्ता, उस दिनांक से, जिससे वह अपने उपयोग के अधिकारों का त्याग करना चाहे, सम्पर्क अभिकरण को न्यूनतम एक वर्ष पूर्व एक आवेदन प्रस्तुत करेगा;

परन्तु, यह और भी कि, उस स्थिति में, जहाँ कोई उपभोक्ता, एक वर्ष से कम की सूचना अवधि पर, किसी समय अपने दीर्घ अवधि की सुगम्यता के अधिकारों के त्याग हेतु कोई आवेदन करता है तो, ऐसा उपभोक्ता, अनुमानित पारेषण प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66 प्रतिशत के समतुल्य की राशि और/अथवा एक वर्ष की सूचना अवधि में कम पड़ रही अवधि के लिए अवशिष्ट क्षमता हेतु व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा। यह भुगतान अनुमानित पारेषण प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66 प्रतिशत और/अथवा 12 वर्ष के सुगम्यता उपयोग अधिकारों में कम पड़ रही अवधि के लिए अवशिष्ट क्षमता हेतु व्हीलिंग प्रभारों (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के भुगतान के अतिरिक्त होगा।

(2) उपर्युक्त विनियम 1 के उप विनियम (क)(ख) में संदर्भित, शुद्ध वर्तमान मूल्य की संगणना के लिए रियायती दर (डिस्काउंट रेट)। वह रियायती दर होगी, जिसका उपयोग, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत प्राप्त करने हेतु बोली प्रक्रिया के माध्यम से दर निर्धारण किये जाने हेतु दिशा निर्देशों के अनुरूप, समय-समय पर, केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में, बोली के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

- (3) दीर्घ अवधि की सुगम्यता के ग्राहक द्वारा, अवशिष्ट क्षमता के लिए भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का उपयोग उस वर्ष अन्य दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहकों और मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहकों द्वारा भुगतान योग्य पारेषण प्रभारों और/अथवा व्हीलिंग प्रभारों को, कम करने के लिए किया जाएगा, जिसमें ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान, उस वर्ष में ऐसे दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहकों और मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहकों के लिए भुगतान योग्य पारेषण प्रभारों के अनुपात में देय है।

## 21. अंतर्राज्यीय सुगम्यता :

अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र के साथ जुड़ने हेतु राज्य ग्रिड के उपयोग की प्रक्रिया केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता की स्वीकृति, अंतर्राज्यीय पारेषण में दीर्घ अवधि की सुगम्यता और मध्यम अवधि की सुगम्यता और संबंधित विषय) विनियम, 2009 अथवा इसके समय-समय पर यथासंशोधित संविधिक पुनः विधायन में विनिर्दिष्ट अंतर्राज्यीय दीर्घ अवधि के सुगम्यता की प्रक्रिया से अधिशासित होगी;

परन्तु, यह कि किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा)/वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजित किसी उत्पादन केन्द्र अथवा उपभोक्ता द्वारा अंतर्राज्यीय दीर्घ अवधि की सुगम्यता चाहने के प्रकरण में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन वांछित अपनी सहमति आरएलडीसी को देने के पूर्व उस उत्पादन कंपनी अथवा उपभोक्ता को, संबंधित पारेषण वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति भी प्रस्तुत करने को कहेगा;

परन्तु, यह भी कि, दीर्घ अवधि के अंतर्राज्यीय सुगम्यता हेतु राज्य ग्रिड का उपयोग चाहने वाले समस्त आवेदकों को, इन विनियमों के विनियम 5 में विनिर्दिष्ट पात्रता के मानदण्ड पूरे करने होंगे और अंतर्राज्यीय सुगम्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, इन विनियमों के विनियम 12(2) का अनुपालन करना होगा।

## भाग-6

### मध्यम अवधि की सुगम्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया

22. मध्यम अवधि की सुगम्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन-

- (1) मध्यम अवधि की सुगम्यता की स्वीकृति हेतु आवेदन में ऐसे विवरण होंगे जैसे कि विस्तृत प्रक्रिया के अंतर्गत निर्धारित किये जाएं और विशेष रूप से उसमें राज्य ग्रिड में अंतःक्षेपण का बिन्दु, राज्य ग्रिड से आहरण का बिन्दु और विद्युत की वह मात्रा जिसके लिए मध्यम अवधि की सुगम्यता आवेदित की गयी है, का समावेश होगा।
- (2) मध्यम अवधि की सुगम्यता का प्रारंभ दिनांक उस माह की अंतिम दिनांक से, जिसमें आवेदन किया गया है, पाँच माह से कम और एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा।
- (3) सम्पर्क अभिकरण, आवेदन प्राप्त होने के बाद द्विपक्षीय संव्यवहारों से जुड़े अन्य अभिकरणों के परामर्श और संयोजन से आवेदन का निराकरण करेगा और यथासंभव शीघ्र आवश्यक तंत्र-अध्ययन करायेगा, जिससे विनियम 12 की तालिका-3 में विनिर्दिष्ट समय सीमा में मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में निर्णय सुनिश्चित किया जा सके;

परन्तु, वैसी स्थिति में, जहाँ सम्पर्क अभिकरण परामर्श या संयोजन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई अनुभव करता है, वह समुचित दिशा निर्देश हेतु आयोग तक पहुंच सकेगा।

### 23. मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति-

- (1) इस बात से संतुष्ट होने पर कि विनियम 5 और विनियम 7 (2) के अधीन विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, सम्पर्क अभिकरण आवेदन में वर्णित अवधि के लिए मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति देगा;

परन्तु, यह कि लिखित में दर्शाये गए कारणों से, सम्पर्क अभिकरण सुगम्यता ग्राहक द्वारा चाही गई अवधि से, कम अवधि के लिए मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति दे सकेगा।

- (2) आवेदक इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेंगे कि उनके पास यथास्थिति विक्रेता/क्रेता, के साथ वैध संविदा है और उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न करेंगे।

(3) सम्पर्क अभिकरण मध्यम अवधि की सुगम्यता स्वीकृत करते समय आवेदक को आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट, प्रचलित दरों के आधार पर भुगतान योग्य अनुमानित प्रयोज्य प्रभार (नगद और वस्तु के रूप में) संसूचित किये जायेंगे।

#### 24. मध्यम अवधि की सुगम्यता के अनुबंध का निष्पादन—

(1) मध्यम अवधि की सुगम्यता हेतु अनुबंध आवेदक द्वारा निम्नलिखित के साथ हस्ताक्षरित किया जायेगा:—

(क) उस स्थिति में जब मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 1 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, विस्तृत प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसरण में, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा प्रदान की गई है— राज्य पारेषण उपक्रम;

(ख) उस स्थिति में जब मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति, इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 2 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, विस्तृत प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसरण में, राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) द्वारा प्रदान की गई है— राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम को छोड़कर) ;

(ग) उस स्थिति में, जब मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 3 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा स्वीकृत की जाती है—राज्य पारेषण उपक्रम और राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ मध्यम अवधिक सुगम्यता के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध ;

(घ) उस स्थिति में जब मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति, इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 4 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा दी जाती है— राज्य पारेषण उपक्रम और वितरण अनुज्ञप्तिधारी से मध्यम अवधि मुक्त उपयोग के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध;

- (ड.) उस स्थिति में जब मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति, इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 5 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा दी जाती है— राज्य पारेषण उपक्रम और वितरण अनुज्ञप्तिधारी से मध्यम अवधि की सुगम्यता के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध;
- (च) उस स्थिति में जब मध्यम अवधि सुगम्यता की स्वीकृति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 6 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए जारी की जाती है—वितरण अनुज्ञप्तिधारी ;
- (छ) उस स्थिति में, जब मध्यम अवधि के पारेषण और वितरण के सुगम्यता की स्वीकृति, इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 7 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा दी जाती है— राज्य पारेषण उपक्रम और वितरण अनुज्ञप्तिधारी से मध्यम अवधि की सुगम्यता के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध;
- (ज) उस स्थिति में, जब मध्यम अवधि सुगम्यता की स्वीकृति, इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 8 में उल्लिखित सुगम्यता के लिए, राज्य पारेषण उपक्रम द्वारा दी जाती है— राज्य पारेषण उपक्रम और दोनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ मध्यम अवधि की सुगम्यता के लिए चतुर्पक्षीय अनुबंध;
- (झ) इन विनियमों की तालिका-3 के सरल क्रमांक 9 में उल्लिखित मध्यम अवधि की सुगम्यता के अंतर्राज्यीय अनुबंध के लिए केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (2) मध्यम अवधि की सुगम्यता के अनुबंध में, मध्यम अवधि की सुगम्यता के प्रारंभ और समाप्त होने के दिनांक, राज्य ग्रिड में विद्युत के अंतःक्षेपण के बिन्दु तथा राज्य ग्रिड से आहरण के बिन्दु और यदि कोई हो, तो आवश्यक स्वार्पित पारेषण लाइनों के विवरण, सुगम्यता ग्राहक द्वारा दी जाने वाली वांछित बैंक गारंटी और ऐसे अन्य विवरण होंगे, जो विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार देना आवश्यक है।

(3) मध्यम अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति के तुरन्त पश्चात्, सम्पर्क अभिकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र को औपचारिकताओं, अंतर्विनिमय विद्युत की मात्रा और ऐसे सुगम्यता अनुमोदन आदि की शर्तों और दशाओं की सूचना देगा, जिससे कि वह इन विनियमों के अधीन प्राप्त होने वाले भविष्यगत अल्प अवधि की सुगम्यता के अनुरोधों का निराकरण कर सके।

**25. कोई अधिभावी प्राथमिकता नहीं (नो ओवर राइडिंग प्रीफरेन्स)**

मध्यम अवधि के सुगम्यता की अवधि समाप्त होने पर, मध्यम अवधि का सुगम्यता ग्राहक, अवधि के पुनर्नवीकरण हेतु किसी अधिभावी प्राथमिकता का पात्र नहीं होगा।

**26. मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक के बाहर निकलने का विकल्प**

कोई मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक, सम्पर्क अभिकरण को न्यूनतम 90 दिवसों की पूर्व सूचना देकर अपने अधिकारों का पूर्णतः अथवा अंशतः त्याग कर सकेगा;

परन्तु, ऐसा मध्यम अवधि का सुगम्यता ग्राहक, जो अपने अधिकारों का अभित्याग करता है, प्रयोज्य पारेषण प्रभारों और/अथवा व्हीलिंग प्रभारों तथा त्याग की अवधि या 90 दिवस, जो भी कम हो, हेतु अन्य प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करेगा।

**27. अंतर्राज्यीय सुगम्यता**

अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र के साथ जुड़ने हेतु राज्य ग्रिड के उपयोग की प्रक्रिया केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता की स्वीकृति, अंतर्राज्यीय पारेषण में दीर्घ अवधि की सुगम्यता और मध्यम अवधि की सुगम्यता और संबंधित विषय) विनियम, 2009 अथवा इसके समय-समय पर यथासंशोधित संविधिक पुनः विधायन में विनिर्दिष्ट, अंतर्राज्यीय मध्यम अवधि की सुगम्यता की प्रक्रिया से अधिशासित होगी;

परन्तु, यह कि किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा)/वितरण अनुज्ञप्तिधारी से संयोजित किसी उत्पादन केन्द्र अथवा उपभोक्ता द्वारा अंतर्राज्यीय मध्यम अवधि की सुगम्यता चाहने के प्रकरण में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन वांछित अपनी सहमति, आर.एल.डी.सी.



को देने के पूर्व संबंधित उत्पादन कंपनी अथवा उपभोक्ता को संबंधित वितरण अनुज्ञापतिधारी की सहमति प्रस्तुत करने हेतु कहेगा;

परन्तु, यह भी कि मध्यम अवधि के अंतर्राज्यीय सुगम्यता हेतु राज्य ग्रिड का उपयोग चाहने वाले समस्त आवेदकों को, इन विनियमों के विनियम 5 में विनिर्दिष्ट पात्रता के मानदण्ड पूरे करने होंगे और अंतर्राज्यीय सुगम्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय इन विनियमों के विनियम 12(2) का अनुपालन करना होगा।

### भाग-7

#### अल्प अवधि की सुगम्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया

#### 28. अल्प अवधि की सुगम्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन

- (1) अल्प अवधि के सुगम्यता की स्वीकृति हेतु दिये जाने वाले आवेदन में राज्य ग्रिड में अंतःक्षेपण का बिन्दु, राज्य ग्रिड से आहरण का बिन्दु, विद्युत की वह मात्रा, जिसके लिए अल्प अवधि की सुगम्यता आवेदित की गई है, सुगम्यता की अवधि, सहित ऐसी अन्य जानकारी का समावेश होगा, जो सम्पर्क अभिकरण द्वारा वांछित हो।
- (2) अल्प अवधि की सुगम्यता के प्रारंभ होने के दिनांक आवेदन किये जाने के दिनांक से, तीस दिन पूर्व और साठ दिन बाद का नहीं होगा। उदाहरणार्थ, एक जुलाई से सुगम्यता की स्वीकृति हेतु आवेदन पहली मई से और मई की 31वीं दिनांक तक प्राप्त किये जायेंगे।
- (3) प्रत्येक द्विपक्षीय संव्यवहार और/अथवा सामूहिक संव्यवहार हेतु दिये गये सभी आवेदन, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर वापसी योग्य शुल्क के साथ किये जायेंगे;

परन्तु, द्विपक्षीय संव्यवहार अथवा सामूहिक संव्यवहार हेतु शुल्क, आवेदन के दिनांक को अथवा आवेदन प्रस्तुति से तीन दिवस के भीतर जमा कराया जायेगा।

- (4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी का कोई उपभोक्ता, जो सुगम्यता प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे अपने प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के यहाँ भी आवेदन की प्रतिलिपि देनी होगी।
- (5) सम्पर्क अभिकरण आवेदक को आवेदन की पावती, अभिस्वीकृति की दिनांक और समय दर्शाते हुए देगा।
- (6) संव्यवहारों के प्रकार के आधार पर सम्पर्क अभिकरण, अल्प अवधि की सुगम्यता हेतु आवेदनों पर निर्णय लेगा—
- (i) उपर्युक्त विनियम 28(2) के अंतर्गत प्राप्त समस्त आवेदनों का निराकरण विनियम 8 में विनिर्दिष्ट आबंटन प्राथमिकता के मानदण्ड के अनुसार 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जायेगा;
- (ii) सम्पर्क अभिकरण, संव्यवहार में शामिल पारेषण और वितरण तंत्र के किसी तत्व (लाइन और ट्रांसफार्मर) में अतिरिक्त क्षमता का उपलब्ध न होने संबंधी (कंजेशन) संव्यवहार की जाँच करेगा;
- (iii) सम्पर्क अभिकरण द्वारा आवेदक को, विस्तृत प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सुगम्यता के स्वीकृति या अन्यथा की जानकारी, भुगतान तालिका सहित दी जायेगी;
- (iv) यदि सुगम्यता प्रदान करने से इंकार किया जाता है तो सम्पर्क अभिकरण विशिष्ट कारण दर्शायेगा।
- (7) अल्प अवधि की सुगम्यता हेतु आवेदन का निराकरण करते समय, सम्पर्क अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि, आवेदक इन विनियमों के विनियम 5 में विनिर्दिष्ट पात्रता के मानदण्डों को पूरा करता है और निम्नलिखित की पुष्टि करेगा—
- (i) समय खण्डवार विद्युत की मीटरिंग और लेखांकन, डाटा संचार आदि के संबंध में, प्रचलित ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक अधोसंरचना की मौजूदगी, और
- (ii) राज्य ग्रिड में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता।

(8) उस स्थिति में, जहाँ सम्पर्क अभिकरण अल्प अवधि की सुगम्यता के आवेदन को अपूर्ण या किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण पाये, तो वह, ऐसी कमी या त्रुटि को, तालिका-4 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर सामान्यतः मान्यता प्राप्त किसी अन्य संचार साधन या, ई-मेल अथवा फ़ैक्स से संसूचित करेगा;

परन्तु, ऐसे प्रकरणों में जहाँ सम्पर्क अभिकरण ने आवेदन में कोई कमी अथवा त्रुटि संसूचित की है, आवेदन की प्राप्ति की दिनांक वह होगी, जिस पर कमी दूर करने अथवा त्रुटियों का सुधार करने, जैसी भी स्थिति हो, के बाद, विहित रूप पूर्ण आवेदन प्राप्त किया गया हो।

(9) आवश्यक अधोसंरचना की मौजूदगी और राज्य ग्रिड में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता स्थापित हो जाने के बाद, सम्पर्क अभिकरण, अल्प अवधि की सुगम्यता पर अपने अनुमोदन की सूचना, आवेदक को, तालिका-4 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, सामान्यतः मान्यता प्राप्त किसी अन्य संचार साधन या, ई-मेल अथवा फ़ैक्स से संसूचित करेगा।

(10) जहाँ आवेदन व्यवस्थित पाया जाता है, किन्तु सम्पर्क अभिकरण, आवश्यक अधोसंरचना की गैर मौजूदगी या राज्य ग्रिड में अतिरिक्त क्षमता की अनुपलब्धता या पात्रता मानदण्ड पूरे न किये जाने के कारण, अपना अनुमोदन देने से इंकार करता है, वहाँ ऐसा इंकार, कारण दर्शाते हुए, आवेदक को, तालिका-4 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, सामान्यतः मान्यता प्राप्त किसी अन्य संचार साधन या, ई-मेल अथवा फ़ैक्स से संसूचित किया जायेगा;

परन्तु, जहाँ सम्पर्क अभिकरण ने आवेदन में कोई कमी या त्रुटि संसूचित नहीं की हो अथवा आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपना अनुमोदन या इंकार संसूचित नहीं किया हो, वहाँ आवेदक राज्यांतरिक सुगम्यता के लिए आयोग के पास जा सकेगा।

## 29. एक दिन पूर्व का संव्यवहार

(1) एक दिन पूर्व के संव्यवहारों की अनुमति तभी दी जायेगी, जब पारेषण तंत्र में ऐसी अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो, जिसे अभिव्यक्त रूप से पूर्णतः या अंशतः समर्पित

किया गया हो, या विगत तीन दिन से अधिक की अवधि में उपयोग में नहीं लिया गया हो।

ऐसे सुगम्यता की स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, कार्यक्रम बनाने की तिथि के पूर्व के तीन दिवस में किन्तु, उस एक दिन पूर्व के संव्यवहार हेतु कार्यक्रम बनाने के ठीक पूर्ववर्ती दिवस के अपरान्ह एक बजे तक ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उदाहरणार्थ, 25 जुलाई को दिवस पूर्व संव्यवहार हेतु आवेदन उस माह की 22वीं दिनांक अथवा 23वीं अथवा 24वीं दिनांक को अपरान्ह एक बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।

- (2) सम्पर्क अभिकरण अति क्षमता के अभाव (कंजेशन) के लिए जाँच करेगा और अपना अनुमोदन या अन्यथा, विस्तृत प्रक्रिया में यथा अनुमोदित प्ररूप में संसूचित करेगा। अल्प अवधि की सुगम्यता के लिए आवेदन के अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे।

### **30. सुगम्यता प्रभारों का भुगतान**

एक माह या सुगम्यता की अवधि, जो भी कम हो, के लिए अग्रिम भुगतान सुगम्यता की स्वीकृति से तीन कार्य दिवसों के भीतर किया जायेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए विद्युत का अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) तभी किया जायेगा जब आवेदक की ओर से भुगतान प्राप्त हो जाता है

### **31. कोई अधिभावी पूर्वता नहीं (नो ओवर राइडिंग प्रीफरेंस)**

अल्प अवधि की सुगम्यता की अवधि समाप्त होने पर, अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक, अवधि के पुनर्नवीकरण हेतु किसी अधिभावी प्राथमिकता का पात्र नहीं होगा।

### **32. अंतर्राज्यीय सुगम्यता**

उपर्युक्त विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अंतर्राज्यीय अल्प अवधि के सुगम्यता की प्रक्रिया, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण में सुगम्यता ) विनियम, 2008 अथवा इसके समय-समय पर यथासंशोधित संविधिक पुनः विधायन में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से अधिशासित होगी;

परन्तु, यह भी कि अल्प अवधि के अंतर्राज्यीय सुगम्यता हेतु राज्य ग्रिड का उपयोग चाहने वाले समस्त आवेदकों को इन विनियमों के विनियम 5 में विनिर्दिष्ट पात्रता के मानदण्ड पूरे करने होंगे और अंतर्राज्यीय सुगम्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय इन विनियमों के विनियम 12(2) का अनुपालन करना होगा।

**भाग-8**  
**राज्य ग्रिड उपयोग करने हेतु प्रभार**

**33. सुगम्यता हेतु प्रभार**

ऐसा अनुज्ञप्तिधारी/राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जो सुगम्यता उपलब्ध करा रहा है केवल ऐसे शुल्क और/अथवा प्रभार ले सकेगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये। प्रभारों के निर्धारण के सिद्धांत निम्नानुसार होंगे—

**(1) पारेषण प्रभार—**

राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण तंत्र का उपयोग राज्यांतरिक पारेषण हेतु किये जाने पर पारेषण प्रभार निम्नानुसार विनियमित किया जायेगा—

(क) राज्यांतरिक पारेषण तंत्र का उपयोग करने के लिए किसी दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहक और मध्यम अवधि सुगम्यता ग्राहक से पारेषण प्रभार आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट टेरिफ की शर्तों और निबंधनों के अनुसार वसूले जायेंगे। इन प्रभारों का निर्धारण, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62(1)(बी) के अंतर्गत किया जायेगा, और यह, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी टेरिफ आदेश के अनुसार प्रयोज्य होगा। इन प्रभारों को दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहकों और मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहकों द्वारा आबंटित क्षमता के अनुसार समानुपातिक रूप से वहन किया जायेगा।

**उदाहरण:** पारेषण प्रभारों के बंटवारे का आधार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के राज्यांतरिक पारेषण तंत्र द्वारा मेगावॉट में सेवित उच्चतम (Served) मॉग रहेगा।

माना कि, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अर्थात 2009-10 में उच्चतम माँग रही-3000 मेगावॉट

दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहक द्वारा संविदाकृत क्षमता है-50 मेगावॉट

मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक द्वारा संविदाकृत क्षमता है-20 मेगावॉट

वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु सेवित क्षमता होगी-3000-50-20=2930 मेगावॉट

माना कि, वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक अनुमानित और अनुमोदित पारेषण प्रभार है-रु. 300करोड़ तो वर्ष 2010-11 के लिए मासिक पारेषण प्रभार निम्नानुसार बांटे जायेंगे:

वितरण अनुज्ञप्तिधारी =  $(300 \times 2930) / (3000 \times 12) = \text{रु. } 24.4166$  करोड़

दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहक =  $(300 \times 50) / (3000 \times 12) = \text{रु. } 0.4166$  करोड़

मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक =  $(300 \times 20) / (3000 \times 12) = \text{रु. } 0.1666$  करोड़

(ख) अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक द्वारा पारेषण प्रभार, उस विद्युत के लिए देय होंगे, जो उस द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर अंतःक्षेपण हेतु अनुमोदित/अनुबंधित हो। स्वीकृत विद्युत की संगणना, द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु आरक्षित क्षमता को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। किसी अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक द्वारा, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु भुगतान योग्य पारेषण प्रभारों की गणना, निम्नलिखित पद्धति से की जायेगी :

एस.टी. दर = टी.एस.सी./राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण तंत्र में सुसंगत वर्ष के लिए शुद्ध वार्षिक अनुमानित विद्युत का आगम, जहाँ:

‘एस.टी. दर’ का अर्थ है रु. प्रति किलो वॉट घंटा या रु. प्रति मेगावॉट घंटा में अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक के लिए दर,

‘टी.एस.सी.’ का अर्थ आयोग द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक पारेषण प्रभार अथवा पारेषण तंत्र के लेखे वार्षिक राजस्व आवश्यकता।

राज्यांतरिक पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु सभी प्रकार के संव्यवहारों (द्विपक्षीय अथवा विनियमों के माध्यम से अंतर्राज्यीय संव्यवहार) के लिए पारेषण प्रभार समान होंगे।

**उदाहरण:** माना कि, वर्ष 2010–11 के लिए वार्षिक अनुमानित और अनुमोदित पारेषण प्रभार रू. 300 करोड़ हैं, और वर्ष 2010–11 के लिए राज्य पारेषण उपक्रम के पारेषण तंत्र में वार्षिक अनुमानित विद्युत आगम है 15000 एमयू एस.टी. दर =  $300 / 15000 = 20$  पैसे प्रति किलो वॉट प्रति घंटा

अथवा, एस.टी. दर = रू. 200 प्रति मेगावॉट प्रति घंटा

(ग) अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहकों से राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, द्विपक्षीय संव्यवहार और समूहिक संव्यवहार के लिए, किसी माह में, इस प्रकार अर्जित राजस्व का प्रत्यक्ष संवितरण दीर्घ अवधि के सुगम्यता और मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहकों को, दीर्घ अवधि और मध्यम अवधि की सुगम्यता हेतु उनके पारेषण प्रभारों को कम करने के लिए, परवर्ती माहों में, भुगतान योग्य मासिक प्रभारों के अनुपात में किया जायेगा। राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहकों से प्राप्त राजस्व का पृथक खाता संधारित करेगा और उसे आयोग को प्रस्तुत करेगा।

## (2) व्हीलिंग प्रभार—

किसी अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र के उपयोग हेतु व्हीलिंग प्रभार, निम्नानुसार विनियमित होंगे:—

(क) वितरण तंत्र का उपयोग करने के लिए किसी दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहक, मध्यम अवधि के सुगम्यता और अल्प अवधि की सुगम्यता ग्राहकों से व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट, शुल्क की शर्तों और निबंधनों के अनुसार, वसूले जायेंगे। इन प्रभारों का निर्धारण, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत किया जायेगा, और यह आयोग

द्वारा समय-समय पर जारी टेरिफ आदेश के अनुसार प्रयोज्य होगा। ये व्हीलिंग प्रभार दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहकों, मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहकों और अल्प अवधि की सुगम्यता ग्राहकों द्वारा अंतःक्षेपण के बिन्दु अथवा बिन्दुओं पर, द्विपक्षीय संव्यवहार के लिए स्वीकृत/संविदाकृत, विद्युत हेतु भुगतान योग्य होंगे। स्वीकृत विद्युत की संगणना, द्विपक्षीय संव्यवहार हेतु आरक्षित क्षमता को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

ख. किसी दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहकों, मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहकों और अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहकों द्वारा वितरण तंत्र के उपयोग हेतु भुगतान योग्य व्हीलिंग प्रभार, समान होंगे।

ग. सुगम्यता ग्राहकों से किसी वर्ष में, इस प्रकार अर्जित राजस्व का उपयोग, अनुज्ञप्तिधारी के, परवर्ती वर्षों में व्हीलिंग प्रभारों को कम करने में किया जायेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी सुगम्यता ग्राहकों से अर्जित राजस्व हेतु पृथक खाता संधारित करेंगे।

(3) राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्क और प्रभार—

कोई सुगम्यता ग्राहक, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को अनुसूचीकरण तथा तंत्र संचालन प्रभारों का भुगतान, आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र शुल्क और प्रभारों की वसूली तथा संग्रहण हेतु अधिसूचित विनियम के अनुसार करेगा।

(4) अनिर्धारित अंतर्विनियम प्रभार (यू.आई. प्रभार) —

क. आहरण बिन्दु(ओं) पर अधिसूचित एवं वास्तव में आहरित और अंतःक्षेपण बिन्दु(ओं) पर अधिसूचित एवं वास्तव में अंतःक्षेपित विद्युत में असमानता की पूर्ति ग्रिड से की जायेगी और यह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा एतद् विनियम के अधिसूचित होने तक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग सी.ई.आर.सी (यू.आई.चार्जस एंड रिलेटेड मैटर्स) विनियम, 2009 से अधिशासित होगी और उसके उपरांत यह, अधिसूचित और संशोधित किये जाने वाले विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार होगी।



- ख. सुगम्यता ग्राहकों को अनिर्धारित अंतर्विनियम प्रभारों के लिए पृथक से देयक जारी किया जायेगा।
- ग. अनिर्धारित अंतर्विनियम प्रभारों का अधिरोपण, संग्रहण और संवितरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (यू.आई.चार्जस एंड रिलेटेड मैटर्स) विनियम, 2009 द्वारा तब तक अधिशासित होता रहेगा, जब तक कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा एतद् विनियम अधिसूचित न हो जाये। एतद्पश्चात उस विनियम एवं उसके संशोधनों, यदि कोई हो तो, द्वारा अधिशासित होगा।
- घ. अनिर्धारित अंतर्विनियम प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और संबंधित घटक (वितरण अनुज्ञप्तिधारी और समस्त अन्य सुगम्यता ग्राहकों सहित) दर्शित राशि का भुगतान केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (यू.आई.चार्जस एंड मैटर्स) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तब तक करेंगे जब तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा एतद् विनियम अधिसूचित नहीं हो जाते और उसके उपरांत यह अधिसूचित और संशोधित किये जाने वाले विनियमों, यदि कोई हो के अनुसार होंगे।

**(5) प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार (रिएक्टिव एनर्जी चार्जस)–**

प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग और सुगम्यता ग्राहकों द्वारा उसका भुगतान, आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित रीति के अनुसार होगा।

**(6) प्रतिसहायता (क्रास–सब्सिडी) अधिभार**

क. आयोग वोल्टेज वाईस/स्लैब वाईस/ ग्राहकों की श्रेणियों के लिए पृथक–पृथक प्रतिसहायता अधिभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

ख. प्रतिसहायता अधिभार निर्धारित करने हेतु सिद्धांत और प्रक्रिया निम्नानुसार होंगे:–

- (i) प्रत्येक सुगम्यता ग्राहक, जो इन विनियमों के अनुसार, सुगम्यता द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु इच्छुक हो, ऐसे प्रतिसहायता अधिभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये।

परन्तु, ऐसा अधिभार, उस स्थिति में उद्ग्रहणीय नहीं होगा, जहाँ सुगम्यता किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी गयी हो, जिसने कोई केप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो और जो इसके माध्यम से स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत अपने स्थान तक ले जाना चाहता हो।

प्रतिसहायता अधिभार, सुगम्यता ग्राहक द्वारा सुगम्यता के माध्यम से, आहरण के बिन्दु पर प्राप्त, वास्तविक ऊर्जा के लिए देय होगा।

- (ii) प्रतिसहायता अधिभार, ऐसे ग्राहक द्वारा भी देय होगा जिसे विद्युत का प्रदाय उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रदाय क्षेत्र में स्थित है, भले ही, वह ऐसे प्रदाय को अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण/वितरण नेटवर्क से ले रहा हो अथवा नहीं।
- (iii) ऐसा अधिभार, टैरिफ वर्ग/टैरिफ (स्लैब) और/या उस वोल्टेज स्तर के क्रॉस सब्सिडी पर आधारित होगा, जिससे ऐसा ग्राहक यथास्थिति, संबद्ध या संयोजित हो, इसकी गणना सब्सिडी युक्त श्रेणी के उपभोक्ता के लिए, संबंधित प्रदाय वोल्टेज हेतु औसत विद्युत दर तथा अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय की औसत लागत के बीच अंतर का ध्यान रखते हुए, औसत लागत पद्धति के आधार पर की जायेगी।
- (iv) ऐसे उपभोक्ता जो बहुवर्षीय विद्युत दर निर्धारण अवधि, रिजिम के पहली नियंत्रण अवधि में सुगम्यता के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं उन पर प्रतिसहायता अधिभार, आयोग द्वारा उस वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिसहायता अधिभार के 90 प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय होगा। परवर्ती नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिसहायता अधिभार, वही होगा जो आयोग द्वारा समय-समय निर्धारित किया जाये।

**उदाहरण:** माना कि, वर्ष 2011-12 के लिए प्रतिसहायता अधिभार 75 पैसे प्रति किलावॉट घंटा निकाला जाता है, तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो सुगम्यता के माध्यम से विद्युत ले रहें हैं, प्रतिसहायता अधिभार 75

पैसे का 90 प्रतिशत अर्थात् 67.5 पैसे (68 पैसे तक पूर्णांकित) प्रति यूनिट, वर्ष 2011-12 के लिए होगा।

माना कि, वर्ष 2012-13 के लिए प्रतिसहायता अधिभार 70 पैसे प्रति किलावॉट घंटा निकाला जाता है तो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो सुगम्यता के माध्यम से विद्युत ले रहें हैं, प्रयोज्य प्रतिसहायता अधिभार 70 पैसे का 90 प्रतिशत अर्थात् 63 पैसे प्रति यूनिट, वर्ष 2012-13 के लिए होगा।

- (v) ऐसे ग्राहकों के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र के माध्यम से विद्युत ले रहें हैं, प्रतिसहायता अधिभार उस वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिसहायता अधिभार का 50 प्रतिशत होगा।

**उदाहरण:** माना कि, वर्ष 2011-12 के लिए प्रतिसहायता अधिभार 75 पैसे प्रति किलावॉट घंटा निकाला जाता है और वर्ष 2012-13 के लिए प्रतिसहायता अधिभार 70 पैसे प्रति किलावॉट घंटा आता है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से विद्युत ले रहें हैं उनके लिए प्रतिसहायता अधिभार वर्ष 2011-12 और वर्ष 2012-13 के लिए क्रमशः 38 पैसे प्रति यूनिट और 35 पैसे प्रति यूनिट होगा।

**(7) अतिरिक्त अधिभार (एडीशनल सरचार्ज)–**

आयोग अधिनियम की धारा 42(4) के अधीन अपेक्षित, अतिरिक्त अधिभार निर्धारित करेगा। ऐसे अतिरिक्त अधिभार तभी प्रयोज्य होंगे, जब यह निश्चायक रूप से प्रदर्शित कर दिया जाता है कि मौजूदा विद्युत क्रय प्रतिबद्धता की दृष्टि से किसी अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व, अवरूद्ध रहा है एवं रहता आया है, अथवा कोई ऐसा अटालनीय दायित्व और घटना हो गई है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी संविदा में निश्चित लागत वहन करनी पड़ी है। नेटवर्क परिसंपत्तियों से संबंधित निश्चित लागत, व्हीलिंग प्रभारों के माध्यम से उद्ग्रहीत की जायेगी।

परन्तु, ऐसा प्रभार, उस स्थिति में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जहाँ सुगम्यता किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध करायी गयी है जिसने अपने स्वयं के उपयोग के किसी ठिकाने तक, विद्युत को ले जाने के लिए, केप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

परन्तु, यह और कि, अतिरिक्त अधिभार का निर्णय आयोग द्वारा, प्रकरण के आधार पर, विहित विनियामक प्रक्रिया के उपरांत किया जायेगा।

(8) **संयोजकता प्रभार—**

राज्य ग्रिड से संयोजित होने के लिए, राज्यांतरिक अनुरोधकर्ता द्वारा ऐसा संयोजकता प्रभार देय होगा, जैसा कि, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(9) कोई अन्य प्रभार, (नगद या वस्तु के रूप में) सुगम्यता ग्राहक द्वारा देय होंगे, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(10) जहाँ सुगम्यता ग्राहक द्वारा अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा किसी अन्य राज्य के भार प्रेषण केन्द्र की सेवाओं का उपयोग किया जाता है तो, ऐसे उपभोक्ता को, इन विनियमों के अधीन निर्धारित प्रभारों के अतिरिक्त केन्द्रीय पारेषण उपक्रम और अन्य राज्य पारेषण उपक्रम के पारेषण प्रभारों तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र और अन्य राज्य के भार प्रेषण केन्द्र के सेवा शुल्कों का भुगतान करना होगा।

(11) ऐसे प्रकरण में, जहाँ किसी उपभोक्ता को सुगम्यता के माध्यम से विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो, संयंत्र के रूकाव (आऊटेज) की दशा में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर, वैकल्पिक व्यवस्थाएं (स्टैण्ड बाई) उपलब्ध कराई जाएगी। किसी केप्टिव उपयोगकर्ता और अथवा सुगम्यता के उपभोक्ता को, केप्टिव उत्पादन संयंत्र से प्रदाय विफल होने की स्थिति में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर, वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वह उत्पादन कम्पनी या केप्टिव उत्पादन संयंत्र, जो सीधे अथवा अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से विद्युत का विक्रय कर रहा है, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और क्रेता को उनके संयंत्रों में रूकावट के संबंध में, ग्रिड में विद्युत का अंतःक्षेपण बहाल होने की संभावित तिथि सहित ई-मेल या फ़ैक्स से सूचना देगा।

सुगम्यता की संविदाकृत क्षमता तक, विद्युत के आहरण के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समर्थन से अतिरिक्त (स्टैंडबाई) विद्युत प्राप्त करने के लिए, दरें, आयोग द्वारा, अपने विद्युत दर आदेश में समय-समय पर उच्चदाब और अतिउच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित प्रति यूनिट औसत दर का डेढ़ गुना होगी।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अतिरिक्त समर्थन प्राप्त करने के दौरान माँग का साधन और ऊर्जा संगणना, अधिसूचित किये जाने वाले और संशोधित, यदि कोई हों तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार होंगे।

परन्तु, सुगम्यता ग्राहकों के पास वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अलावा किसी अन्य स्रोत से अतिरिक्त व्यवस्था करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

परन्तु, यह और भी कि केन्द्रीय पारेषण उपक्रम के तंत्र से संयोजित सुगम्यता ग्राहकों को उस क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आयोग द्वारा अनुमोदित शर्तों और दशाओं पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं (स्टैण्ड बाई) लेने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक अतिरिक्त व्यवस्था प्राप्त करने के लिए आयोग तक पहुंच सकेंगे।

(12) समस्त दीर्घ अवधि सुगम्यता ग्राहक और मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक, सिवाय उस दशा के जब सुगम्यता प्राप्त करने में विफलता का कारण वह अनुज्ञप्तिधारी हो, जिसके नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा हो। सुगम्यता अनुबंध के अंतर्गत, उस अनुबंध में विनिर्दिष्ट सुगम्यता के प्रारंभ दिनांक से भुगतान योग्य प्रभारों का भुगतान करेंगे, भले ही ऐसे सुगम्यता को उस दिनांक से प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं।

(13) सभी सुगम्यता ग्राहक यह सुनिश्चित करने हेतु युक्ति-युक्त प्रयास अवश्य करेंगे कि उनकी वास्तविक माँग या वास्तविक भेजी गई क्षमता (विद्युत), यथास्थिति किसी अंतर्संयोजन बिन्दु पर संविदाकृत क्षमता या आरक्षित क्षमता से अधिक न हो जाये;

परन्तु, संतुलन बनाने और सुगम्यता अनुबंधों से संबंधित समस्त आगम और निर्गम बिन्दुओं पर ऊर्जा की माँग और व्यवस्थापन के लिए अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्यांतरिक ए.बी.टी., असंतुलन प्रभार और संबंधित विषय) विनियम और इसके संशोधनों, यदि

कोई हो, के प्रावधानों का पालन कड़ाई से करेगा। परन्तु, यह और भी कि ऐसे समय तक, जब तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा एतद् विनियम, आयोग द्वारा अधिसूचित नहीं कर दिये जाते, ऊर्जा और मांग संतुलन की शर्तें और दशाएं वैसे ही लागू होती रहेंगी जैसे मौजूदा अनुबंध में बनाई गई है।

(14) राज्य ग्रिड का उपयोग करने वाले उपभोक्ता हेतु, पारेषण और व्हीलिंग से संबंधित प्रभार, राज्य में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत प्राप्त करने के लिए एनर्जी इनपुट का 6 प्रतिशत होंगे। इन प्रभारों के अलावा वे किन्हीं पारेषण प्रभारों या व्हीलिंग प्रभारों का (नगद अथवा वस्तु के रूप में) भुगतान करने हेतु दायी नहीं होंगे। तथापि, जहाँ विद्युत की व्हीलिंग स्वयं के उपयोग के अलावा की जाती है, वहाँ ये प्रभार भुगतान योग्य होगा।

#### (15) ऊर्जा क्षय—

सुगम्यता ग्राहक, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत पारित अपने सुसंगत टैरिफ आदेश में अनुमोदित किये गये, पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र के ऊर्जा क्षयों को वहन करेगा। पारेषण और वितरण तंत्र में होने वाले ऊर्जा क्षयों की भरपाई अंतःक्षेपण बिन्दु पर अतिरिक्त अंतःक्षेपण करके की जायेगी। ऊर्जा क्षय की गणना, अंतःक्षेपण के बिन्दु या बिन्दुओं पर संव्यवहार के लिए अनुसूचीकृत ऊर्जा के आधार पर की जायेगी।

उदाहरण:—

सुगम्यता ग्राहकों से उद्ग्रहणीय, पारेषण और व्हीलिंग प्रभार निम्नानुसार है

तालिका-5				
प्रयोज्य प्रभार एवं विद्युत हानियाँ				
क्र.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु की पारस्परिक स्थिति	अंतःक्षेपण बिन्दु	आहरण बिन्दु	प्रयोज्य प्रभार
1.	दोनों राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क में	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र (132 केव्ही और ऊपर) के ई.एच.व्ही. भाग पर	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र (132 केव्ही और ऊपर) के ई.एच.व्ही. भाग पर	1. राज्य पारेषण उपक्रम की पारेषण प्रभार 2. राज्य पारेषण उपक्रम का पारेषण हानि
2.	दोनों राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के (राज्य पारेषण उपक्रम के अलावा) नेटवर्क में से और जहाँ राज्य पारेषण उपक्रम के नेटवर्क की विद्युत ले जाने में कोई भूमिका न हो।	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र के ई.एच.व्ही. भाग पर	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र के ई.एच.व्ही. भाग पर	1. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का पारेषण प्रभार 2. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण हानि

3.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, राज्यांतरिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तंत्र एवं राज्य पारेषण उपक्रम नेटवर्क पर स्थित है या इसके विपरीत	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र (132 केव्ही और ऊपर) के ई.एच.व्ही. भाग पर	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र (132 केव्ही और ऊपर) के ई.एच.व्ही. भाग पर	1. राज्य पारेषण उपक्रम का पारेषण प्रभार 2. राज्य पारेषण उपक्रम की पारेषण हानि 3. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का पारेषण प्रभार 4. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण हानि
4.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, राज्यांतरिक पारेषण तंत्र व वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र पर क्रमशः स्थित है।	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र (132 केव्ही और ऊपर) के ई.एच.व्ही. भाग पर	33 के.व्ही.	1. राज्य पारेषण उपक्रम का पारेषण प्रभार 2. राज्य पारेषण उपक्रम की पारेषण हानि 3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार 4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण हानि, उसी वोल्टेज स्तर के लिए।
5.	अंतःक्षेपण व आहरण बिन्दु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तंत्र व राज्यांतरिक पारेषण तंत्र पर, क्रमशः स्थित है।	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र का 33 केव्ही भाग पर	ई.एच.व्ही. भाग (132 केव्ही और ऊपर)	1. राज्य पारेषण उपक्रम का पारेषण प्रभार 2. राज्य पारेषण उपक्रम की पारेषण हानि 3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार
		33/11 उपकेन्द्र का 33 केव्ही. भाग	ई.एच.व्ही. भाग (132 केव्ही और ऊपर)	1. राज्य पारेषण उपक्रम का पारेषण प्रभार 2. राज्य पारेषण उपक्रम की पारेषण हानि 3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार 4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण हानि, उसी वोल्टेज स्तर के लिए।
6.	दोनों उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी में हो और राज्य पारेषण नेटवर्क की कोई भूमिका नहीं।	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र या 33/11 केव्ही उपकेन्द्र का 33 के.व्ही. भाग	33 के.व्ही.	1. व्हीलिंग प्रभार 2. वितरण हानियाँ
7.	दोनों उसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी में हो, परन्तु राज्य पारेषण नेटवर्क की भी भूमिका हो।	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र या 33/11 केव्ही उपकेन्द्र का 33 के.व्ही. भाग	33 के.व्ही.	1. राज्य पारेषण उपक्रम का पारेषण प्रभार 2. राज्य पारेषण उपक्रम की पारेषण हानि 3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्हीलिंग प्रभार 4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण हानि
8.	दोनों उसी राज्य में हो, परन्तु विभिन्न वितरण अनुज्ञप्तिधारी।	ई.एच.व्ही. उपकेन्द्र या 33/11 केव्ही उपकेन्द्र का 33 के.व्ही. भाग	33 के.व्ही.	1. राज्य पारेषण उपक्रम का पारेषण प्रभार 2. राज्य पारेषण उपक्रम की पारेषण हानि 3. वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्र. 1 के व्हीलिंग प्रभार 4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्र. 1की वितरण हानि 5. वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्र.2 के व्हीलिंग प्रभार 6. वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्र.2 के वितरण हानि
9.	विभिन्न राज्यों में (अंतर्राज्यीय सुगम्यता )	जैसा प्रयोज्य हो	राज्य के बाहर	1. ऊपर विनिर्दिष्ट के प्रकार के अनुरूप प्रयोज्य प्रभार 2. अन्य राज्य के केन्द्रीय पारेषण उपक्रम और राज्य पारेषण उपक्रम अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण प्रभार और/अथवा व्हीलिंग प्रभार और ऊर्जा हानियाँ

### 34. बिलिंग, भुगतान, संग्रहण और प्रभारों का वितरण

- (1) जब तक विस्तृत प्रक्रिया में या आयोग द्वारा जारी किसी अन्य आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, विनियम 33 (यू. आई. प्रभारों के अलावा) में उल्लिखित प्रभारों के विरुद्ध देयक, संबंधित सम्पर्क अभिकरण द्वारा तैयार किये जायेंगे और उन्हें परवर्ती कैलेण्डर माह की 5वीं दिनांक से पूर्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी/राज्य भार प्रेषण केन्द्र/सुगम्यता ग्राहक, को वितरित कर दिया जायेगा।

- (2) यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और अन्य समस्त सुगम्यता ग्राहक, इन प्रभारों का भुगतान, देयक जारी होने की दिनांक से सात दिन के भीतर करेंगे।
- (3) राज्य ग्रिड के उपयोग के लिए सुगम्यता प्रभार और शुल्क तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रभारों का वितरण संबंधित सुगम्यता ग्राहकों से उसकी प्राप्ति होने पर सम्पर्क अभिकरण द्वारा बिलिंग चक्र पूरा होने के पाँच दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी/ राज्य भार प्रेषण केन्द्र को किया जायेगा।
- (4) यदि सुगम्यता प्रभारों का भुगतान, सम्पर्क अभिकरण द्वारा जारी देयक में उल्लिखित देय दिनांक के भीतर नहीं किया जाता, तो चूककर्ता सुगम्यता ग्राहक को, विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए, 0.04 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।
- (5) यदि सम्पर्क अभिकरण द्वारा, सुगम्यता ग्राहकों की ओर प्राप्त भुगतान, अनुज्ञप्तिधारी/राज्य भार प्रेषण केन्द्र को, बिलिंग चक्र पूरा होने के उपरांत पाँच कार्य दिवसों के भीतर नहीं किया जाता है, तो सम्पर्क अभिकरण को, विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए 0.04 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
- (6) ऐसे प्रकरण में, जहाँ कोई सुगम्यता ग्राहक अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र (केन्द्रीय पारेषण उपक्रम या किसी अन्य अंतर्राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी) का उपयोग एकमेव रूप से करता है, वहाँ यथास्थिति, केन्द्रीय पारेषण उपक्रम या उस अन्य अंतर्राज्यीय पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, द्वारा अधिभार एकत्र किये जायेंगे और उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसका भुगतान किया जायेगा, जिसके क्षेत्र में वह उपभोक्ता स्थित है।

### **35. भुगतान हेतु सुरक्षानिधि**

#### **(1) दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहक**

समस्त दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे विनियम 30 में उल्लिखित प्रभारों के लिए, अनुमानित प्रयोज्य औसत मासिक देयक के 105 प्रतिशत का साख पत्र (एल.सी.) सम्पर्क अभिकरण के पक्ष में खोले। साख पत्र



खोलने के अलावा दीर्घ अवधि सुगम्यता ग्राहकों को दो माह के अनुमानित प्रयोज्य प्रभारों के समतुल्य राशि की अटल (इरिवोकेबल) बैंक गारंटी सम्पर्क अभिकरण के पास बतौर सुरक्षा संयोजकता की अधिसूचित दिनांक से तीन माह पूर्व जमा करानी होगी। प्रारंभिक तौर पर यह सुरक्षा प्रणाली न्यूनतम तीन वर्ष के अवधि के लिए वैध होगी और समय-समय पर उसका नवीनीकरण किया जायेगा।

राज्य पारेषण उपक्रम नेटवर्क का उपयोग करने वाले राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु भुगतान सुरक्षा प्रणाली दोनों उपक्रमों के बीच निष्पादित पारेषण सेवा अनुबंध से अधिशासित होगी।

## (2) मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहक

मध्यम अवधि का सुगम्यता अनुबंध हस्ताक्षरित होने के उपरांत, आवेदक, दो माह के अनुमानित प्रयोज्य प्रभारों के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी, सम्पर्क अभिकरण को, मध्यम अवधि का सुगम्यता अनुबंध स्वीकृत होने के 30 दिवस के भीतर, उपलब्ध करायेगा। अनुमानित औसत सुगम्यता प्रभारों की समीक्षा, प्रत्येक छःमाही/ मध्यम अवधि के सुगम्यता अनुबंध की अवधि, जो भी कम हो, पर की जायेगी और तदनुसार बैंक गारंटी की राशि को, मध्यम अवधि सुगम्यता ग्राहकों को कम या ज्यादा किया जा सकेगा।

## (3) यू. आई. प्रभारों के लिए भुगतान सुरक्षा

अनिर्धारित-अंतर्विनिमय प्रभारों के लिए भुगतान सुरक्षा, आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले और समय-समय पर यथासंशोधित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के एतद् विनियम से अधिशासित होगी।

36. कोई राज्यांतरिक उपयोगकर्ता या कोई राज्यांतरिक एकक, जो राज्य ग्रिड का उपयोग कर रहा है और इसमें अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजन हेतु ग्रिड का उपयोग (राज्यांतरिक और/या अंतर्राज्यीय सुगम्यता प्राप्त करने हेतु) सम्मिलित है अधिसूचित अंतर्विनिमय प्रभारों के भुगतान में चूक करता है, तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को जानकारी देकर तथा अंतर्राज्यीय सुगम्यता की दशा में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र को भी जानकारी देकर, उस उपयोगकर्ता/एकक से भुगतान हेतु सतत प्रयास करेगा।

यदि वह राज्यांतरिक उपयोगकर्ता या राज्यांतरिक एकक, जो राज्य ग्रिड का उपयोग कर रहा हो और इसमें अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजन हेतु ग्रिड का उपयोग (राज्यांतरिक और/या अंतर्राज्यीय सुगम्यता प्राप्त करने हेतु) भी सम्मिलित है, दो साप्ताहिक बिलिंग चक्रों में अधिसूचित अंतर्विनिमय प्रभारों के भुगतान में चूक करता है तो राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्यांतरिक सुगम्यता की दशा में उसके संव्यवहार को अधिसूचित नहीं करेगा और अंतर्राज्यीय सुगम्यता की दशा में सुगम्यता ग्राहक और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देकर अपनी सहमति वापस ले लेगा। अंतर्राज्यीय सुगम्यता की दशा में अपनी सहमति वापस लेने की सूचना क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र को भी देगा, ताकि वह अपनी ओर से आवश्यक कार्यवाही कर सके।

इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रभारों अथवा अनधिसूचित अंतर्विनिमय प्रभारों अथवा अनधिसूचित अंतर्विनिमय प्रभारों के भुगतान में लंबे समय तक चूक करने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी या भार प्रेषण केन्द्र आयोग से संपर्क कर सकेगा।

37. जब कोई सुगम्यता ग्राहक अथवा राज्यांतरिक उपयोगकर्ता, जो राज्य ग्रिड का उपयोग करता हो जिसमें अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र के साथ संयोजन हेतु ऐसे तंत्र का उपयोग भी सम्मिलित है, यदि उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देय किन्ही सुगम्यता प्रभारों के भुगतान में चूक की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी, राज्य ग्रिड के साथ उसके संयोजन विच्छेद जैसी कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा अथवा अधिनियम या राज्य ग्रिड संहिता या किन्ही अन्य विनियमों के अंतर्गत पूर्व सूचना दे कर और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, कोई अन्य सम्यक कार्यवाही कर सकेगा।

## भाग—9 विविध

### 38. अनुसूचियन (शेड्यूलिंग)

- (1) इस विनियम के परवर्ती विनियमों में किसी बात के होते हुए भी समस्त प्रकार के अंतर्राज्यीय सुगम्यता संव्यवहार का अनुसूचियन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये अनुसार होगा।

- (2) दीर्घ अवधि के सुगम्यता ग्राहकों और मध्यम अवधि सुगम्यता ग्राहकों हेतु राज्यांतरिक सुगम्यता संव्यवहारों के लिए क्षमता की घोषणा और अनुसूचीयन हेतु, समय-समय पर यथासंशोधित राज्य ग्रिड संहिता के प्रावधान, प्रयोज्य होंगे।
- (3) अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहकों के लिए राज्यांतरिक सुगम्यता संव्यवहार हेतु अनुसूचीयन की प्रक्रियाएँ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित (राज्यांतरिक ए.बी.टी., असंतुलन प्रभार और संबंधित विषय) विनियम के अनुसार होगी।

### 39. कटौती (करटेल्मेंट)

- (1) जब राज्य ग्रिड में बाधाओं के कारण अथवा ग्रिड सुरक्षा के हित में किसी राज्य ग्रिड पर विद्युत प्रवाह में कटौती आवश्यक हो जाये तो पहले से ही अनुसूचित संव्यवहारों में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कटौती की जा सकेगी।
- (2) ग्रिड संहिता अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनियमन के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक के लिए सर्वप्रथम कटौती की जायेगी, उसके उपरांत मध्यम अवधि के सुगम्यता ग्राहकों के लिए, तदुपरांत दीर्घ अवधि सुगम्यता ग्राहकों के लिए और किसी श्रेणी विशेष के उपभोक्ताओं के बीच कटौती अनुपातिक आधार पर की जायेगी।
- (3) अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक की पारेषण क्षमता का आरक्षण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कम अथवा निरस्त किया जा सकता है, यदि भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन जैसी भी स्थिति हो, केन्द्रीय उत्पादन संयंत्र/राज्य उत्पादन संयंत्र/आई.पी. पी./सी.जी.पी. से विद्युत किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में आबंटित करे और ऐसा आबंटन राज्य भार प्रेषण केन्द्र की राय में पारेषण लिंक में जमाव (कंजेशन) की वजह से अन्यथा रूप से लागू न किया जा सके। यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक के लिए आरक्षित क्षमता कम करने अथवा निरस्त करने का इस विनियम के अधीन निर्णय लिया जाता है तो, वह, यथासंभव शीघ्र, संबंधित अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहक को, पारेषण क्षमता कम अथवा निरस्त करने को लागू करने हेतु इसकी सूचना देगा।

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी दिन विशेष को, पारेषण बाधाओं अथवा वितरण नेटवर्क की कठिनाईयों की वजह से, आरक्षित पारेषण क्षमता में, 50 प्रतिशत से अधिक कटौती करने की दशा में, उस दिन के लिए, यथास्थिति पारेषण प्रभार और/अथवा व्हीलिंग प्रभार अल्प अवधि के सुगम्यता ग्राहकों द्वारा आनुपातिक आधार पर, वस्तुतः उपलब्ध करायी गई पारेषण और/अथवा वितरण क्षमता के अनुरूप, भुगतान किया जायेगा।

परन्तु, ऐसी कटौती की दशा में भी संचालन प्रभारों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

#### **40. सुगम्यता ग्राहक द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग न किया जाना अथवा आधिक्य में उपयोग**

(1) उस स्थिति में जहाँ कोई सुगम्यता ग्राहक, आरक्षित क्षमता का पूर्णतः या सारवान रूप से अंशतः उपयोग करने में असमर्थ रहता है तो वह सम्पर्क अभिकरण को आरक्षित क्षमता के उपयोग में अपनी असमर्थता के कारण और अवधि दर्शाते हुए सूचना देगा और उपयोग न की गई क्षमता को समर्पित करेगा।

(2) वह अल्प अवधि का सुगम्यता ग्राहक, जिसने उपर्युक्त विनियम 1 के अधीन उपयोग न की गई क्षमता को समर्पित कर दिया है, पारेषण और/या व्हीलिंग प्रभारों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के शुल्कों और प्रभारों और सात दिनों या वह अवधि जिसके लिए आरक्षण समर्पित किया गया है, यथास्थिति जो भी अवधि कम हो, के लिए मूल आरक्षण क्षमता के आधार पर प्रयोज्य समस्त अन्य प्रभारों का वहन करेगा।

(3) उपर्युक्त विनियम 1 के अधीन सुगम्यता ग्राहक द्वारा समर्पण के परिणामस्वरूप उपलब्ध होने वाली पारेषण/वितरण क्षमता इन विनियमों के अनुसरण में किसी अन्य सुगम्यता ग्राहक के लिए आरक्षित की जा सकेगी।

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र सुगम्यता के संव्यवहारों का एक त्रैमासिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें सुगम्यता ग्राहकों द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता के, क्षमता उपयोग को दर्शाया जायेगा और उसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- (5) सुगम्यता ग्राहकों द्वारा वास्तविक समय संचालन के दौरान राज्य ग्रिड पर गेमिंग और दुरुपयोग के लिए प्रावधान आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्यांतरिक ए.बी.टी., असंतुलन प्रभार और संबंधित विषय) विनियम, में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
- (6) आयोग, या तो स्वतः अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किसी याचिका पर, किसी सुगम्यता ग्राहक के विरुद्ध आबंटित क्षमता/आरक्षित क्षमता के दुरुपयोग के आरोपों पर कार्यवाही संस्थित कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो अपने द्वारा निश्चित तरीके से जॉच आदेशित कर सकेगा। यदि उपर्युक्त जॉच में आबंटित क्षमता/आरक्षित क्षमता के दुरुपयोग के आरोप स्थापित हो जाते हैं तो, आयोग अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत विनियमों में किसी अन्य कार्यवाही में पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना, किसी सुगम्यता ग्राहक की आरक्षित क्षमता को कम अथवा निरस्त कर सकेगा।

#### 41. ग्रिड अनुशासन और प्रदाय की गुणवत्ता

- (1) अनुज्ञप्तिधारी, हर संभव युक्तियुक्त प्रयास कर सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क के सभी सुगम्यता ग्राहकों के संबंध में, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अधीन विनिर्दिष्ट आपूर्ति मानक, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रिड संहिता के प्रावधानों का, जो उन पर जहाँ तक लागू होते हों, समुचित पालन हो।
- (2) प्रत्येक सुगम्यता ग्राहक, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता और राज्य पारेषण उपक्रम/अनुज्ञप्तिधारी/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेगा।

#### 42. क्रियान्वयन के लिए विस्तृत प्रक्रिया

- (1) इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, राज्य पारेषण उपक्रम, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श कर, इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर विस्तृत प्रक्रिया का प्रारूप आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। क्रियान्वयन हेतु इस विस्तृत प्रक्रिया का अनुमोदन, सभी प्रभावित पक्षों से सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के बाद किया जायेगा।

(2) विस्तृत प्रक्रिया में, विशेषतः निम्नांकित का समावेश होगा—

क. उपर्युक्त विनियम 10 (3) में संदर्भित संयोजन अनुबंध के लिए प्रारूप।

ख. उपर्युक्त विनियम 17 में संदर्भित दीर्घ अवधि के सुगम्यता अनुबंध के लिए प्रारूप;

परन्तु, केन्द्र शासन द्वारा, अधिनियम की धारा 63 के अनुसरण में पारेषण के लिए प्रतियोगी बोली हेतु मानक बोली के दस्तावेजों के भाग के रूप में जारी, पारेषण सेवा अनुबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस अनुबंध का एक भाग होगा;

परन्तु, यह और भी कि, उस स्थिति में, जहाँ पारेषण तंत्र की अभिवृद्धि, अधिनियम की धारा 63 के अनुसरण में, प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से, की जाती है, बोली के दस्तावेजों के भाग के रूप में संलग्न पारेषण सेवा अनुबंध के आवेदक और राज्य पारेषण उपक्रम के बीच दीर्घ अवधि की सुगम्यता के लिए सम्पन्न, प्रारूप समझौते के एक भाग के रूप में, उपयोग में लिया जायेगा।

ग. राज्य पारेषण उपक्रम/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जैसे भी स्थिति हो द्वारा पारेषण के निर्माण/सुधार के चरणों और आने वाली उत्पादन सुविधाओं/थोक उपभोक्ताओं की सुविधाओं जैसी भी स्थिति हो, हेतु समय वस्तुतः इस प्रकार निर्धारित की जावेगी, कि वह दोनों की पूर्णता के समय से सुसंगत हो।

घ. निर्माण और संचालन की अवधि के दौरान भुगतान सुरक्षा प्रणाली और बैंक गारंटी जैसे पहलू;

च. उपर्युक्त 24 में संदर्भित मध्यम अवधि के सुगम्यता अनुबंध हेतु प्रारूप;

छ. दीर्घ अवधि ग्राहकों या मध्यम अवधि ग्राहकों, जैसी भी स्थिति हों, से राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र हेतु सुगम्यता प्रभारों के संग्रहण हेतु प्रावधान, या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण उपक्रम या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जो भी जैसे और जब एतस्मिन् विनियम 34 के

अनुसरण में निर्दिष्ट किये जायें, और यथास्थिति, राज्य पारेषण उपक्रम और/अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संवितरण;

झ. अल्प अवधि सुगम्यता हेतु प्रारूप ।

#### 43. परिवेदना निवारण (रिड्रेसल ) व्यवस्था

इन विनियमों से उत्पन्न या इनके अंतर्गत समस्त विवादों का निराकरण इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिये गये आवेदन पर आयोग द्वारा किया जायेगा।

#### 44. सूचना तंत्र

सम्पर्क अभिकरण द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपनी वेबसाइट पर एक पृथक वेब पेज पर जिसका शीर्षक होगा—“दीर्घ अवधि की सुगम्यता, मध्यम अवधि की सुगम्यता और अल्प अवधि की सुगम्यता की –जानकारी” दर्ज की जायेगी:—

क. ये विनियम;

ख. संयोजन अनुबंध और सुगम्यता अनुबंध;

ग. ऐसे आवेदनों की सूची जिनमें उस वर्ष के दौरान संयोजकता या दीर्घ अवधि की सुगम्यता या मध्यम अवधि की सुगम्यता या अल्प अवधि की सुगम्यता, जैसी भी स्थिति हो, की स्वीकृति सकारण प्रदान नहीं की गई है तथा उसका कारण;

घ. सम्पर्क अभिकरण द्वारा प्राप्त उन आवेदनों की आवश्यक विवरण सहित पृथक-पृथक सूची, जो दीर्घ अवधि की सुगम्यता या मध्यम अवधि की सुगम्यता या अल्प अवधि की सुगम्यता की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है;

च. दीर्घ अवधि की सुगम्यता या मध्यम अवधि की सुगम्यता या अल्प अवधि की सुगम्यता के लिए स्वीकृत प्रकरणों की निम्नलिखित विवरण सहित पृथक-पृथक सूचियाँ—

(i) उपभोक्ता का नाम

(ii) वह अवधि, जिसके लिए उपयोग स्वीकृत किया गया है (प्रारंभ और समापन दिनांक)

- (iii) वोल्टेज स्तर सहित अंतःक्षेपण के बिन्दु
- (iv) वोल्टेज स्तर सहित निकासी के बिन्दु
- (v) उपयोग में लिया गया पारेषण तंत्र और/अथवा वितरण तंत्र
- (vi) क्षमता (एमडब्लू) जिसके लिए सुगम्यता स्वीकृत की गयी है

परन्तु, यह भी कि सम्पर्क अभिकरण का यह सत्त प्रयास रहेगा कि यहाँ व्यक्त आवश्यकतों के अनुसरण में वह स्वतः नियमित अंतराल में जन सामान्य को, विभिन्न संचार माध्यमों, जिसमें इंटरनेट भी सम्मिलित है, से अधिकाधिक जानकारी देने हेतु कदम उठाये जिससे जानकारी का व्यापक और ऐसे रूप में तथा ऐसे ढंग से प्रसार हो, जो जन सामान्य तक आसानी से पहुंच सके।

#### 45. निरसन और व्यावृत्तियाँ

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम, 2005 और उससे अधिसूचित संशोधन निरसित समझे जायेंगे।
- (2) उपर्युक्त विनियम 45 (1), में उल्लेखित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी दीर्घ अवधि सुगम्यता की अनुमति, जो कि उपरोक्त विनियम, 2005 के अनुसरण में दी गई हो, वह उस अवधि के समापन तक वैध रहेगी।

टीपः— इस विनियम के हिन्दी संस्करण एवं अंग्रेजी संस्करण के प्रावधानों या उनकी व्याख्या में अंतर होने की दशा में, और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन.सिंह)  
सचिव